रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112026-277716
CG-DL-E-06112026-277716

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 659] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2026/कार्तिक 14, 1948
No. 659] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2026/KARTIKA 14, 1948

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2026

फा. सं. बीएस/ XI / 08/ 03/2026-27.— भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त और अन्य पदों पर भर्ती) विनियम, 2020 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्रशासन एवं वित्त के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त और अन्य पदों पर भर्ती) विनियम, 2026 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.** – (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "अधिनियम" से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रशासन, वित्त और अन्य पदों" से इन विनियमों में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद अभिप्रेत हैं;

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" से महानिदेशक और उपमहानिदेशक (प्रशासन) अभिप्रेत हैं;

(घ) "नियम" से भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 अभिप्रेत हैं;

(ङ) "अनुसूची" से इन विनियमों में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) "छानबीन समिति" से विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (v) के उप-खंड (क) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(छ) "चयन समिति" से विनियम 8 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(ज) **"सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना"** से भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ऐसी पहल अभिप्रेत है, जिसके अधीन सरकारी भर्ती अभिकरणों जैसे संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय नौसेना और कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में **अनुशंसित न किए गए इच्छुक अभ्यर्थियों** (ऐसे अभ्यर्थी, जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, किंतु साक्षात्कार के बाद अनुशंसित नहीं किए जाते हैं) के **अंकों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध** कराया जाता है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों मे प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, परंतु अधिनियम या नियमों में परिभाषित हैं; वही अर्थ लागू होंगे, जो अधिनियम और नियमों में उनके लिए क्रमशः दिए गए हैं।

3. भर्ती की पद्धति. – पदों की संख्या, वेतन मेट्रिक्स में स्तर, भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ (2) से (10) में विनिर्दिष्ट हैं।

परंतु प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, पदावधि और प्रतिनियुक्ति भत्ता केन्द्रीय सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे।

4. सीधी भर्ती. – (1) जहां अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट किसी भी पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित है, वहाँ निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, अर्थात्: -

(क) भर्ती की पद्धतियों हेतु प्राथमिकता का क्रम. – **इन विनियमों के अधीन पदों पर भर्ती निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के अनुसार की जाएगी;**

(क) **प्रथम प्राथमिकता. – सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना:** खंड (iii) में यथानिहित सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के माध्यम से पदों को भरने को प्रथम वरीयता दी जाएगी।

(ख) **द्वितीय प्राथमिकता.** – अन्य पद्धतियाँ (प्रतियोगी परीक्षा या विभागीय भर्ती): खंड (iv) में यथानिहित खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अथवा खंड (v) में यथानिहित विभागीय छानबीन और चयन समिति की प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती केवल तभी की जाएगी, जब सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना लागू न हो या उपलब्ध न हो।

परंतु यह कि यदि सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के माध्यम से रिक्तियाँ रिक्त रह जाती हैं, तो समूह 'ख' और समूह 'ग' के पदों के मामले में महानिदेशक के अनुमोदन से तथा समूह 'क' के पदों के मामले में कार्यकारी समिति के अनुमोदन से, अन्य पद्धतियों (प्रतियोगी परीक्षा या विभागीय भर्ती) के माध्यम से ऐसी रिक्तियाँ भरी जा सकती हैं।

(i) **रिक्तियों का विज्ञापन. –** रिक्तियों का विज्ञापन इम्प्लॉइमन्ट न्यूज, रोज़गार समाचार, अग्रणी समाचार-पत्रों तथा ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट पर दिया जाएगा जिसमें, अन्य जानकारी के साथ, निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

(क) उपलब्ध रिक्तियों की संख्या;

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण संबंधी विवरण;

(ग) विहित शैक्षणिक अर्हताएँ, अनुभव और आयु-सीमा; और

(घ) पात्रता की ऐसी अन्य शर्तें, जो विहित की जाएँ।

(ii) पात्रता संबंधी मानदंड. – किसी पद के लिए कोई अभ्यर्थी तभी पात्र होगा, जब वह निर्धारित अर्हताएँ और अनुभव रखता हो तथा निर्धारित आयु-सीमा, निम्नलिखित शिथिलताओं के अधीन आता हो:

परंतु यह कि ऊपरी आयु-सीमा में ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा ऐसे अन्य वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में शिथिलता दी जा सकती है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, और ऐसी शिथिलता प्रत्येक वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी;

परंतु यह भी कि विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में उन पदों के मामले में, जिनके लिए निर्धारित आयु-सीमा पचास वर्ष से कम है, पचास वर्ष की आयु तक तथा उन पदों के मामले में, जिनके लिए निर्धारित आयु-सीमा पचास वर्ष या उससे अधिक है, पाँच वर्ष तक की शिथिलता दी जा सकती है।

(iii) सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के माध्यम से चयन. – सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी:

(क) समूह 'क' के पद: सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के अधीन यथा-संशोधित एवं आयोजित नवीनतम परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंतिम अंकों—जिसमें मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार अथवा व्यक्तित्व परीक्षण के अंक सम्मिलित हैं—को पचासी प्रतिशत (85%) भारांक दिया जाएगा, तथा चयन समिति द्वारा आयोजित व्यक्तिगत साक्षात्कार को पंद्रह प्रतिशत (15%) भारांक दिया जाएगा। ऐसे साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के छह गुना से अधिक नहीं होगी।

(ख) समूह 'ख' व समूह 'ग' के पद: अभ्यर्थियों का चयन सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के अधीन एवं यथा-संशोधित, आयोजित नवीनतम परीक्षा में प्राप्त अंतिम अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें, मुख्य परीक्षा तथा यथाप्रयोज्य साक्षात्कार अथवा व्यक्तित्व परीक्षण अथवा कौशल परीक्षण के अंक सम्मिलित होंगे।

परंतु यह कि समूह 'ख' और समूह 'ग' के पदों के लिए चयन ब्यूरो द्वारा बिना किसी साक्षात्कार के किया जाएगा।

परंतु यह भी कि सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के माध्यम से आशुलिपिक संवर्ग के पदों पर भर्ती के मामले में, जहाँ उक्त योजना के अधीन आयोजित परीक्षा में चयन प्रक्रिया के भाग के रूप में आशुलिपि और उससे संबंधित आशुलिपिकीय कौशल का पहले ही परीक्षण किया जा चुका है, वहाँ आशुलिपिक संवर्ग के लिए अनुसूची में निर्धारित आशुलिपिकीय कौशल हेतु अलग से कौशल परीक्षण आयोजित करना आवश्यक नहीं होगा; और ऐसे मामलों में, चयन सूची तैयार करने के लिए मेरिट सूची उस परीक्षा के केवल लिखित परीक्षा भाग में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, बशर्ते कि उन्होंने उक्त परीक्षा के भाग के रूप में आयोजित कौशल परीक्षण में अर्हता प्राप्त की हो।

(ग) सुसंगत परीक्षा का निर्धारण. – सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के अधीन जिस परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जानी है, उसका निर्धारण समूह 'ख' और समूह 'ग' के पदों के मामले में महानिदेशक द्वारा तथा समूह 'क' के पदों के मामले में कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण. – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, वे पद जिनके वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 10 और उससे ऊपर है, केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के पदों के समकक्ष होंगे, वे पद जिनके वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 6 से 9 तक है, केन्द्रीय सरकार के समूह 'ख' के पदों के समकक्ष होंगे और वे पद जिनके वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 1 से 5 तक है, केन्द्रीय सरकार के समूह 'ग' के पदों के समकक्ष होंगे।

(iv) चयन प्रक्रिया. – प्रतियोगी परीक्षा; प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

(क) लिखित या ऑनलाइन परीक्षा; लिखित या ऑनलाइन परीक्षा, जिसमें आशुलिपि, टंकण तथा अनुसूची में यथाप्रयोज्य अन्य प्रयोगात्मक परीक्षण शामिल होंगे, ब्यूरो द्वारा विभागीय रूप से अथवा किसी व्यावसायिक संस्था या अभिकरण के माध्यम से, महानिदेशक द्वारा निर्धारित तारीखों और स्थानों पर आयोजित की जाएगी।

(ख) समूह 'क' के पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन लिखित या ऑनलाइन परीक्षा को पचासी प्रतिशत (85%) भारांक तथा चयन समिति द्वारा आयोजित किए जाने वाले व्यक्तिगत साक्षात्कार को पंद्रह प्रतिशत (15%) भारांक देकर किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के छह गुना से अधिक नहीं होगी और वे उन अभ्यर्थियों में से मेरिट के क्रम में होंगे, जिन्होंने लिखित या ऑनलाइन परीक्षा में कम से कम पचास प्रतिशत (50%) अंक प्राप्त किए हों।

परंतु यह कि समूह 'ख' और समूह 'ग' के पदों के लिए चयन बिना किसी साक्षात्कार के किया जाएगा।

(ग) समूह 'ख' और समूह 'ग' के पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन लिखित या ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर निर्धारित मेरिट के अनुसार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि वे अनुसूची में विनिर्दिष्ट निर्धारित कौशल परीक्षण, अर्थात् आशुलिपि परीक्षण, टंकण गति परीक्षण, ट्रेड परीक्षण अथवा इनके संयोजन के किसी परीक्षण में अर्हता प्राप्त करें। ऐसे कौशल परीक्षण केवल अर्हता-प्रकृति के होंगे। कौशल परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के छह गुना से अधिक नहीं होगी और वे उन अभ्यर्थियों में से मेरिट के क्रम में होंगे, जिन्होंने लिखित या ऑनलाइन परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम पचास प्रतिशत (50%) अंक प्राप्त किए हों।

(v) छानबीन और चयन समिति द्वारा चयन. – उपर्युक्त खंड (iv) में निर्धारित सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना तथा प्रतियोगी परीक्षा से भिन्न किसी अन्य पद्धति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी:

(क) छानबीन समिति. – प्राप्त आवेदनों की छानबीन एक छानबीन समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें ब्यूरो के कम से कम उप निदेशक पद के न्यूनतम तीन अधिकारी होंगे जिनमें से वरिष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा एवं समिति के सदस्यों को महानिदेशक द्वारा नामित किया जाएगा।

परंतु यह कि छानबीन समिति का कम से कम एक सदस्य उस पद से उच्चतर पद वाला होगा, जिस पद के लिए चयन किया जा रहा है।

(ख) चयन समिति. – छानबीन समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को अंतिम विचार एवं चयन के लिए चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(vi) आरक्षित श्रेणियों के लिए शिथिलीकरण. – जहाँ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिकों अथवा व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षित पद खंड (iv) के अधीन निर्धारित मानदंडों के आधार पर रिक्त रह जाते हैं, वहाँ ऐसी श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों का चयन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शिथिलीकरण प्रदान करके किया जा सकेगा, ताकि आरक्षित कोटे की कमी को पूरा किया जा सके, परंतु यह तब जबकि ऐसे अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

(vii) प्रतीक्षा सूची. – सफल अभ्यर्थियों की चयन सूची के अतिरिक्त, बाद में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए, योग्यता के क्रम में एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। ऐसी प्रतीक्षा सूची उसके तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

परंतु प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 के उपबंधों के अनुसार दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, ऐसी अवधि के दौरान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा या उन्हें ऐसे दायित्व दिए जा सकते हैं जैसा नियुक्ति प्राधिकारी आवश्यक समझे अथवा विभागीय परीक्षा या परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी:

परंतु प्रशिक्षण का मॉड्यूल, दिए जाने वाले दायित्व, और परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उत्तीर्ण की जाने वाली विभागीय परीक्षा वही होगी जिसकी समय-समय पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई हो और जिसे महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

परंतु यह और कि जहाँ महानिदेशक नियुक्ति प्राधिकारी हो, वहाँ कार्यकारी समिति का अनुमोदन अभिप्राप्त करना होगा।

5. प्रतिनियुक्ति. – (1) जहाँ अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट किसी पद को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना है वहाँ ऐसे पदों को भरने के लिए पदों की संख्या, विहित अर्हताएँ, आयु-सीमा, विशिष्ट विशेषज्ञता, यदि कोई अपेक्षित हो, और ऐसे अनुभव जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा अन्य विषय जो आवश्यक हो, के बारे में पूरी जानकारी देते हुए कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में और ब्यूरो की वेबसाइट पर भी विज्ञापित की जाएगीः

परन्तु यह कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगीः

परन्तु यह और कि ऐसी प्रतिनियुक्ति साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पाँच वर्ष की होगी:

(2) ऐसे अभ्यर्थियों को, जो विनिर्दिष्ट अपेक्षाएँ पूरी करते हैं और विनियम 4 के उप-विनियम (1) के खंड (v) के उप-खंड (क) के अधीन गठित छानबीन समिति द्वारा चयन हेतु सूचीबद्ध हैं, चयन समिति द्वारा चयन के लिए बुलाया जाएगा।

6. प्रोन्नति. – (1) प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए -

(i) अनुसूची के स्तंभ (5) में यथाविनिर्दिष्ट कोई पद या तो चयन पद होगा या अचयन पद;

(ii) किसी चयन पद पर प्रोन्नति वरिष्ठता का सम्यक ध्यान रखते हुए की जाएगी और कार्यकारी समिति द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समुचित चयन समिति सेवा अभिलेख, जिसके अधीन वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट भी है को ध्यान में रखते हुए प्रोन्नति के लिए विचार क्षेत्र के भीतर आने वाले पात्र कर्मचारियों की उपयुक्तता का निर्धारण करेगी और उस क्रम की अनुशंसा करेगी, जिसमे प्रोन्नतियां दी जा सकेंगी;

(iii) अचयन पद पर प्रोन्नति, अयोग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर, वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी जो समुचित चयन समिति द्वारा सेवा अभिलेख, जिसके अधीन वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट भी है, से अवधारित की जाएगी;

(2) कर्मचारी संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिकथित दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय हो, के अधीन वित्तीय उन्नयन के अनुदान के लिए हकदार होंगे.

7. नियुक्ति प्राधिकारी. – (1) सभी पदों पर नियुक्ति विनियम 8 में दी गई चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी:

परन्तु उपमहानिदेशक के स्तर के सभी पदों पर नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से की जाएगी।

परन्तु यह और कि प्रतिनियुक्ति आधार पर मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर नियुक्ति, जिस के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, को चयन समिति को नहीं भेजा जाएगा;

8. चयन समिति की संरचना. – (1) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 और उससे ऊपर के पदों के लिए चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे: -

(i) महानिदेशक, समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार;

(iii) ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग का प्रतिनिधि;

(iv) महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्यकारी समिति के दो सदस्य; और

(v) महानिदेनक द्वारा नामनिर्दिष्ट ब्यूरो के एक या दो वरिष्ठ अधिकारी।

(2) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 से स्तर-12 तक के पदों के लिए चयन समिति 'क' में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(i) महानिदेशक, समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) उपमहानिदेशक (प्रशासन);

(iii) महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट ब्यूरो का वैज्ञानिक 'जी' या वैज्ञानिक 'एफ';

(iv) ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग का प्रतिनिधि; और

(v) महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट ब्यूरो के एक या दो वरिष्ठ अधिकारी।

(3) उप-विनियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट पदों के अतिरिक्त पदों के लिए चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(i) उपमहानिदेशक (प्रशासन), समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट ब्यूरो में कार्मिक कार्य देखने वाला एक अधिकारी;

(iii) महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अन्य अधिकारी; और

(iv) ब्यूरो के कार्मिक कार्य देखने वाले सहायक निदेशक अथवा उप निदेशक।

(4) इन विनियमों के अधीन संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना तथा अकृत्यिक श्रेणी के अधीन उन्नयन प्रदान करने के लिए मामलों पर विचार करने और सिफारिश करने के लिए छानबीन समिति की संरचना संबंधित चयन समिति के समान होगी;

(5) संबंधित चयन समितियों की सिफारिशों को महानिदेशक के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

परन्तु उपरोक्त उप-विनियम (2) और (3) में विनिर्दिष्ट चयन समिति में दो सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय या महिला सदस्य होंगे।

9. पदों की श्रेणी और उनकी संस्वीकृत संख्या. – पदों की श्रेणी और उनकी संस्वीकृत संख्या वही होगी जो, समय-समय पर, कार्यकारी समिति द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से अवधारित की गई हो।

10. शिथिल करने की शक्ति. – जहाँ ब्यूरो की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में, इन विनियमों के उपबंधों के किसी भी उपबंध को शिथिल किया जा सकता है:

परन्तु ऐसे शिथिलकरण को कार्यान्वित किए जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन लिया जाएगा।

11. व्यावृत्ति. – इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलकरण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12. निर्वचन. – इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो इसका विनिश्चय केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से ब्यूरो द्वारा किया जाएगा।

अनुसूची (प्रशासन, वित्त और अन्य पद संवर्ग)

(विनियम 3, 4, 5, और 6 देखें)

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	भर्ती की पद्धति. सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधे भरी किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	प्रोन्नति या स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/आमेलन द्वारा नियुक्ति की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/आमेलन किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	उपमहानिदेशक (प्रशासन)	1	स्तर-13क (रू.131100-216600).	चयन पद	50 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित मास्टर ऑफ बिजनेस एड्मिनिस्ट्रैशन; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित दो वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ii) कार्मिक प्रबंधन, सामान्य प्रशासन में कम से कम पंद्रह वर्षों का अनुभव जिसमें से कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक संस्था या स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या प्रतिष्ठित	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	**प्रोन्नति**: ऐसे सचिव/निदेशक (मानव संसाधन विकास)/निदेशक (प्रशासन)/निदेशक (सामान्य सेवाएं)/निदेशक (स्थापना)/निदेशक (प्रशिक्षण)/निदेशक (विधि) जिन्होनें चयन ग्रेड में दो वर्षों की नियमित सेवा की है: परंतु निदेशक (मुद्रण), निदेशक (विदेशी भाषा) और निदेशक (सूचना सेवाएं) का पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने राजपत्र में इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को चयन ग्रेड में दो वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन क्र. सं. (i) पर विहित शैक्षणिक अर्हताएं हैं, भी उप महानिदेशक (प्रशासन) के पद पर प्रोन्नति के लिए पत्र होंगे। **प्रतिनियुक्ति**: (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने

						सरकारी एजेंसी में वरिष्ठ पद पर हो।			वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (रू.123100-215900) में दो वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के क्रम सं (i) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं।
2.	उपमहानिदेशक (वित्त)	1	स्तर-13क (रू.131100-216600).	चयन पद	50 वर्ष	(i) चार्टर्ड अकाउन्टेंट या कॉस्ट एवं वर्क्स अकाउन्टेंट या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से वित्त में विशेषज्ञता के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन; और (ii) वित्त प्रबंधन में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव जिसमें से वरिष्ठ पद पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक संस्था या स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या प्रतिष्ठित सरकारी अभिकरण में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	**प्रोन्नति:-** ऐसे निदेशक (वित्त) या निदेशक (लेखा) जिन्होंने चयन ग्रेड में दो वर्ष नियमित सेवा की है: परन्तु निदेशक (मुद्रण), निदेशक (विदेशी भाषा) और निदेशक (सूचना सेवाएं) का पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने राजपत्र में इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को चयन ग्रेड में दो वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्र. सं. (i) पर की विहित शैक्षणिक अर्हताएं हैं भी उप महानिदेशक (वित्त) के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे। **प्रतिनियुक्ति**:- (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या ऐसे पदधारी जो वेतन मैट्रिकस के स्तर-13 (रु. 123100-215900) में दो वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में क्रम सं. (i) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं हैं।
3.	निदेशक (चयन ग्रेड)	4*	स्तर-13 (रू.123100-215900).	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	ऐसे सचिव/निदेशक (प्रशासन)/निदेशक (मानव संसाधन विकास) /निदेशक (सामान्य सेवाएं) / निदेशक (सतर्कता)/निदेशक (कॉरपोरेट कम्युनिकेशन)/निदेशक

									(स्थापना)/निदेशक (प्रशिक्षण)/निदेशक (लेखा)/ निदेशक (वित्त) निदेशक (विधि) जिन्होंने इन पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है: परंतु निदेशक (मुद्रण), निदेशक (विदेशी भाषा) और निदेशक (सूचना सेवाएं) का पदधारण करने वाले ऐसे पदधारी भी पात्र होंगे जिन्होंने इन पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।
*चयन ग्रेड के पद अकृत्यिक होंगे।									
4.	मुख्य सतर्कता अधिकारी	1	स्तर-13 (रू.123100-215900).	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	लागू नहीं होता	केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं या ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (रु.78800-209200) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। सतर्कता मामलों में अनुभव।
5.	सचिव	1	स्तर 12 – (रु 78800 – 209200)	चयन पद	50 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन अथवा श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा किसी मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन अथवा श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिप्लोमाः (ii) कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हताएं: स्तंभ (7) के अधीन क्रम. सं (i) पर उपदर्शित विस्तार तक	**प्रोन्नति** : ऐसे उपमहानिदेशक (प्रशासन और वित्त) जिन्होनें इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (रु.67700-208700) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं. (i) पर सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएँ हैं। **प्रतिनियुक्तिः** (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए है; या ऐसे अधिकारी जिन्होने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (रु. 67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है: और (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्रम स.(i) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक

						केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या कानूनी / स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी अभिकरण में वरिष्ठ पद पर हो।			अर्हताएँ हैं।
6.	निदेशक (वित)	1	स्तर-12 (रु 78800 – 209200)	चयन पद	50 वर्ष	(i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री: (ii) चार्टर्ड अकाउन्टेंट अथवा कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउन्टेंट अथवा सबॉर्डिनेट अकांउट सर्विस अकाउन्टेंट अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त में विशेषज्ञता के साथ); और (iii) लेखा अथवा वित्त कार्य में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक संस्था या स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या प्रतिष्ठित सरकारी अभिकरण में वरिष्ठ पद पर हो।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हताएं: स्तंभ (7) के अधीन क्रम. सं (i)और (ii) में उपदर्शित विस्तार तक	**प्रोन्नति:** ऐसे उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त) जिन्होंने इन विनियमों के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु.67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; (ii) चार्टर्ड अकाउन्टेंट/ कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउन्टेंट/ सर्वोर्डिनेट अकांउट सर्विस अकाउन्टेंट / किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त में विशेषज्ञता के साथ) की अर्हताएँ है। **प्रतिनियुक्ति :-** (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (रु.67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है: और (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं (i) व (ii) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
7.	निदेशक (प्रशासन)	1	स्तर-12 (रु 78800 – 209200)	चयन पद	50 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक में विशेषज्ञता के	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हताएं: स्तंभ (7) के अधीन क्रम.सं (i) पर उपदर्शित विस्तार तक	**प्रोन्नति:** ऐसे उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त) जिन्होंने इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु.67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है: किसी मान्यता प्राप्त

						साथ); अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ स्नात्तकोत्तर डिग्री, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ii) कार्यालय प्रबंधन, भंडार क्रय, सामान्य सेवाओं में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक संस्था या स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या प्रतिष्ठित सरकारी अभिकरण में वरिष्ठ पद पर हो जिसके साथ कार्यालय प्रबंधन, भंडार क्रय इत्यादि से संबंधित नियमों की पूरी जानकारी हो; स्टाफ कल्याण गतिविधियों और भवन रख-रखाव का अनुभव हो।			विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक में विशेषज्ञता के साथ); अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। **प्रतिनियुक्तिः** (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु.67700-208700) पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं(i)में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएँ हैं।
8.	निदेशक (विधि)	1	स्तर-12 (रु 78800 – 209200)	चयन पद	50 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक डिग्री और (ii) विधि के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन / सांविधिक/ स्वायत्त निकाय /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में वरिष्ठ पद पर हो ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हताएं: स्तंभ (7) के अधीन क्रम. सं(i) पर उपदर्शित विस्तार तक	**प्रोन्नतिः** ऐसे उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) जिन्होंने इन विनियमों के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (रु.67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री है। **प्रतिनियुक्तिः** (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स के स्तर-11

									(रु.67700-208700) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने पे मैट्रिक्स के स्तर- 10 (रु.56100- 177500) में दस वर्ष नियमित सेवा की है; अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 और स्तर-10 में दस वर्ष सम्मिलित रूप से नियमित सेवा की है; और (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन क्रम सं (i) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
9.	निदेशक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन) *	1	स्तर-12 (रू.78800-209200).	चयन पद	i र्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग) अथवा जनसंचार में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या सोशल वर्क में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ii) केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/ सांविधिक / स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में मार्केटिंग / जनसंचार / सोशल वर्क के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो, जिसमे से पाँच वर्षों का अनुभव वरिष्ठ पद पर हो।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हताएं: स्तम्भ (7) के अधीन क्रम सं (i) पर उपदर्शित विस्तार तक	**प्रोन्नति**: ऐसे उपनिदेशक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन / प्रकाशन) जिन्होंने इन विनियमों के स्तर-11 (रू.67700-208700) में पाँच वर्षों की नियमित सेवा की है, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग) अथवा जनसंचार में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या सोशल वर्क में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा है। **प्रतिनियुक्ति**: : (क) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (रू.67700-208700) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है; (ख)ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
* निदेशक (जन संपर्क) का पद वर्तमान पदधारी हेतु वैयक्तिक होगा। यह पद वर्तमान निदेशक (जन संपर्क) की सेवा-निवृत्ति/त्यागपत्र आदि पर सेवा की समाप्ति होने पर निदेशक **(**कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन**)** के रूप में पुनः पदाभिहित किया जाएगा।									
10.	निदेशक (सामान्य सेवाएं) -*	1	स्तर-12 (रु.78800-209200).	चयन पद	50 वर्ष	**(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर	**आयु : नहीं। शैक्षणिक** अर्हताएं:	**प्रोन्नति:** ऐसे उपनिदेशक **(प्रशासन एवं वित्त)** जिन्होंने इन विनियमों के

						परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से दो वर्ष की अवधि की मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक विशेषज्ञता सहित); अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित स्नातकोत्तर उपाधि**; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से **कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा;** तथा **(ii)** कार्यालय प्रबंधन, भंडार क्रय तथा सामान्य सेवाओं में दस वर्ष का अनुभव, जिसमें से पाँच वर्ष का अनुभव केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा सांविधिक / स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में वरिष्ठ पद पर होना चाहिए तथा कार्यालय प्रबंधन, भंडार क्रय आदि से संबंधित केंद्रीय सरकार के नियमों का गहनज्ञान होना चाहिए; साथ ही, कर्मचारी कल्याण संबंधी गतिविधियों एवं **भवन अनुरक्षण का अनुभव** होना चाहिए।	प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	स्तम्भ (7) के अधीन क्रम सं (i) पर उपदर्शित विस्तार तक	वेतन स्तर-11 (₹67,700-2,08,700) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है, जिनके पास— (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से दो वर्ष की अवधि की मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक विशेषज्ञता सहित) है; अथवा (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित स्नातकोत्तर उपाधि** है; अथवा (ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से **कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा** है। **प्रतिनियुक्ति :** **(क)** ऐसे अधिकारी, जो नियमित आधार पर समतुल्य पदधारी हों; अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (₹67,700-2,08,700) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी; तथा **(ख)** ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
* निदेशक (सूचना सेवाएं) का वर्तमान पद केवल वर्तमान पदधारी के लिए ही रहेगा। वर्तमान निदेशक (सूचना सेवाएं) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र आदि के कारण सेवा समाप्त होने पर इस पद को निदेशक (सामान्य सेवाएं) के रूप में पुनः पदाभिहित किया जाएगा।									
11.	निदेशक (प्रशिक्षण) *	1	स्तर-12 (Rs.78800-209200).	चयन पद	50 वर्ष	**(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से कार्मिक विशेषज्ञता सहित दो वर्ष की अवधि की मास्टर ऑफ बिजनेस	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**आयु : नहीं। शैक्षणिक** अर्हताएं: स्तम्भ (7) के अधीन क्रम सं (i) पर उपदर्शित विस्तार तक	**प्रोन्नति :** इन विनियमों में वेतन स्तर-11 (₹67,700-2,08,700) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले **उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त),** जिनके पास— (क) किसी मान्यता प्राप्त

						एडमिनिस्ट्रेशन **(एमबीए);** अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित स्नातकोत्तर उपाधि**; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से **कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा;** तथा **(ii)** कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्र में **दस वर्ष का अनुभव**, जिसमें से **पाँच वर्ष का अनुभव** केंद्रीय /राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकार अथवा सांविधिक / स्वायत्त निकाय /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में **वरिष्ठ पद पर** होना चाहिए।			विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से दो वर्ष की अवधि की मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन **(**कार्मिक विशेषज्ञता सहित**)** है; अथवा (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित स्नातकोत्तर उपाधि** है; अथवा (ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से **कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा** है। **प्रतिनियुक्ति :** **(क)** ऐसे अधिकारी, जो नियमित आधार पर समतुल्य पदधारी हों; अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (₹67,700-2,08,700) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी; तथा **(ख)** ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
* निदेशक (प्रिंटिंग) का वर्तमान पद केवल वर्तमान पदधारी के लिए ही रहेगा। वर्तमान निदेशक (प्रिंटिंग) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र आदि के कारण सेवा समाप्त होने पर इस पद को निदेशक (प्रशिक्षण) के रूप में पुनः पदाभिहित किया जाएगा।									
12.	निदेशक (मानव संसाधन विकास)	1	स्तर-12 (रु.78800-209200).	चयन पद	50 वर्ष	**(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से कार्मिक विशेषज्ञता सहित दो वर्ष की अवधि की मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन **(एमबीए);** अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित**	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**आयु : नहीं। शैक्षणिक** अर्हताएं: स्तम्भ (7) के अधीन क्रम सं (i) पर उपदर्शित विस्तार तक	**प्रोन्नति:** इन विनियमों में वेतन स्तर-11 (₹67,700-2,08,700) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले **उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त),** जिनके पास— (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से दो वर्ष की अवधि की मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन

						स्नातकोत्तर उपाधि; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से **कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा;** तथा **(ii)** कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्र में **दस वर्ष का अनुभव**, जिसमें से **पाँच वर्ष का अनुभव वरिष्ठ पद पर** केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अथवा सांविधिक / स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में होना चाहिए			**(**कार्मिक विशेषज्ञता सहित**)** है; अथवा (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित स्नातकोत्तर उपाधि**; है अथवा (ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से **कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा** है। **प्रतिनियुक्ति :** **(क)** ऐसे अधिकारी, जो नियमित आधार पर समतुल्य पदधारी हों; अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (₹67,700-2,08,700) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी; तथा **(ख)** ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
* निदेशक (विक्रय) का वर्तमान पद केवल वर्तमान पदधारी के लिए ही रहेगा। वर्तमान निदेशक (विक्रय) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र आदि के कारण सेवा समाप्त होने पर इस पद को निदेशक (मानव संसाधन विकास) के रूप में पुनः पदाभिहित किया जाएगा।									
13.	निदेशक (स्थापना)	1	स्तर-12 (रु.78800-209200).	चयन पद	50 वर्ष	**(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से कार्मिक विशेषज्ञता सहित दो वर्ष की अवधि की मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन **(एमबीए);** अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित स्नातकोत्तर उपाधि**; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**आयु : नहीं। शैक्षणिक** अर्हताएं: स्तम्भ (7) के अधीन क्रम सं (i) पर उपदर्शित विस्तार तक	**प्रोन्नति :** इन विनियमों में वेतन स्तर-11 (₹67,700-2,08,700) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले **उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त),** जिनके पास— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से दो वर्ष की अवधि की मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन **(**कार्मिक विशेषज्ञता सहित**)** है; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित**

						कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; तथा **(ii)** कार्मिक प्रबंधन क्षेत्र में **दस वर्ष का अनुभव**, जिसमें से **पाँच वर्ष का अनुभव** केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अथवा सांविधिक/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में **वरिष्ठ पद पर** होना चाहिए।			**स्नातकोत्तर उपाधि** है; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से **कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा** है। **प्रतिनियुक्ति :** **(क)** ऐसे अधिकारी, जो नियमित आधार पर समतुल्य पदधारी हों; अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (₹67,700-2,08,700) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी; तथा **(ख)** ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तम्भ (7) में क्रम संख्या **(i)** के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
14.	निदेशक (लेखा)	1	स्तर-12 (Rs.78800-209200).	चयन पद	50 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट अथवा अधीनस्थ लेखा सेवा अकाउंटेंट अथवा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त में विशेषज्ञता सहित); तथा **(iii)** लेखा संबंधी कार्यों में **दस वर्ष का अनुभव**, जिसमें से **पाँच वर्ष का अनुभव** केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अथवा सांविधिक/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में **वरिष्ठ पद पर** होना चाहिए	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**आयु : नहीं। शैक्षणिक अर्हताएं: स्तम्भ 7 में क्रम संख्या (i) एवं (ii) में** उपदर्शित विस्तार तक	**प्रोन्नति :** इन विनियमों में वेतन स्तर-11 (₹67,700-2,08,700) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले **उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त),** जिनके पास— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से चार्टर्ड अकाउंटेंट / कॉस्ट अकाउंटेंट/अधीनस्थ लेखा सेवा अकाउंटेंट अथवा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त में विशेषज्ञता सहित) है। **प्रतिनियुक्ति :** **(क)** ऐसे अधिकारी, जो नियमित आधार पर समतुल्य पदधारी हों; अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (₹67,700-2,08,700) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी; तथा **(ख)** स्तम्भ 7 में क्रम

									संख्या **(i)** एवं (ii) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएँ रखने वाले अधिकारी।
15.	निदेशक (सतर्कता) *	1	स्तर-12 (रु.78800-209200).	चयन पद	50 वर्ष	**(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से कार्मिक विशेषज्ञता सहित दो वर्ष की अवधि की मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन **(एमबीए);** अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित स्नातकोत्तर उपाधि**; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से **कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा;** तथा **(ii)** कार्मिक प्रबंधन/सतर्कता **क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव**, जिसमें से **पाँच वर्ष का अनुभव** केंद्रीय /राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अथवा सांविधिक / स्वायत्त निकाय /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में **वरिष्ठ पद पर** होना चाहिए।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**आयु : नहीं। शैक्षणिक अर्हताएं: स्तम्भ 7 में क्रम संख्या (i) में** उपदर्शित विस्तार तक	**प्रोन्नति :** इन विनियमों में वेतन स्तर-11 (₹67,700-2,08,700) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले **उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त),** जिनके पास— (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से दो वर्ष की अवधि की मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन **(**कार्मिक विशेषज्ञता सहित**)** है; अथवा (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित स्नातकोत्तर उपाधि** है; अथवा (ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से **कार्मिक प्रबंधन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा** है। **प्रतिनियुक्ति :** **(क)** ऐसे अधिकारी, जो नियमित आधार पर समतुल्य पदधारी हों; अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (₹67,700-2,08,700) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी; तथा **(ख)** ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन क्रम संख्या **(i)** में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
* निदेशक (विदेशी भाषा) का वर्तमान पद केवल वर्तमान पदधारी के लिए ही रहेगा। वर्तमान निदेशक (विदेशी भाषा) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र आदि के कारण सेवा समाप्त होने पर इस पद को निदेशक (सतर्कता) के रूप में पुनः पदाभिहित किया जाएगा।									
16.	उपनिदेशक	2	स्तर-11	चयन	40 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं	प्रोन्नति : इन विनियमों में

	(हिंदी)		(रु.67700-208700).	पद		विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष, जिसमें स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ी हो; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष, जिसमें स्नातक स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ी हो; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष, जिसमें स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय के रूप में पढ़ी हों; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष, जिसमें माध्यम अंग्रेजी / हिंदी हो तथा स्नातक स्तर पर हिंदी / अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ी हो; तथा (ii) हिंदी में पारिभाषिक कार्य और / या अंग्रेजी से हिंदी अथवा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का पाँच वर्ष का अनुभव, अधिमानतः तकनीकी अथवा वैज्ञानिक साहित्य संबंधी।	जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा		वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (₹56,100-1,77,500) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक निदेशक (हिंदी)। प्रतिनियुक्ति : (क) (i) ऐसे अधिकारी, जो नियमित आधार पर समतुल्य पदधारी हों; अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (₹56,100-1,77,500) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी; तथा **(ख)** ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन क्रम संख्या **(i)** में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
17.	उपनिदेशक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन / प्रकाशन/ पुस्तकालय)	12	स्तर-11 (Rs.67700-208700).	चयन पद	40 वर्ष	उपनिदेशक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (विपणन) अथवा जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा समाज कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा; तथा	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	प्रोन्नति : इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (₹56,100-1,77,500) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक निदेशक (कॉरपोरेट संचार/प्रकाशन/पुस्तकालय)। प्रतिनियुक्ति : (क) (i) ऐसे अधिकारी, जो नियमित आधार पर समतुल्य पदधारी हों;

						(ii) विपणन / जनसंचार / समाज कार्य के क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव, जिसमें से पाँच वर्ष का अनुभव केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/कानूनी /स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में वरिष्ठ पद पर होना चाहिए। <u>उपनिदेशक (प्रकाशन) के लिए:</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या कला में स्नातक उपाधि ;(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी/प्रकाशन में डिप्लोमा; तथा (iii) तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रकाशनों के किसी सुस्थापित प्रकाशन / मुद्रण प्रतिष्ठान में उत्तरदायी पद पर कम-से-कम पाँच वर्ष का अनुभव, जिसमें से पाँच वर्ष का अनुभव केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/कानूनी /स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में वरिष्ठ पद पर होना चाहिए। <u>उपनिदेशक (पुस्तकालय) के लिए:</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ii) केन्द्रीय सरकार /राज्य सरकार /स्वायत्त निकाय /पब्लिक सैक्टर उपक्रम			अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (₹56,100-1,77,500) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी; तथा **(ख)** ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए संबंधित विषय में विहित अर्हताएं हैं।

						/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान के अधीन किसी पुस्तकालय मे कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव । वांछनीय : कंप्यूटर अनुप्रयोगों में डिप्लोमा।			
18.	उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त)	11	स्तर-11 (रु.67700-208700).	चयन पद	40 वर्ष	<u>उप निदेशक (प्रशासन) के लिए:</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक विशेषज्ञता सहित) मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन/मानव संसाधन प्रबंधन में दो वर्ष की अवधि की स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री / विधि में स्नातक; और (ii) कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्र में आठ वर्ष का अनुभव, जिसमें से पाँच वर्ष का अनुभव केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र सरकार / कानूनी निकाय / स्वायत्त निकाय / पब्लिक सेक्टर उपक्रम में ज्येष्ठ पद पर होगा। <u>उपनिदेशक (वित्त विषय) के लिए:</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; (ii) चार्टर्ड अकाउंटेंट/ लागत और कार्य	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता ,	प्रोन्नति : इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (₹56,100-1,77,500) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) । प्रतिनियुक्ति : (क) ऐसे अधिकारी, जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (₹56,100-1,77,500) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा तथा प्रशासन/वित्त के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिकारी; और **(ख)** स्तम्भ 7 में सीधी भर्ती के लिए सुसंगत विषय में विहित अहर्ता वाले अधिकारी।

						लेखाकार /अधीनस्थ लेखा सेवा लेखाकार / बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री (वित्त विशेषज्ञता सहित) उपाधि; (iii) लेखा कार्य में आठ वर्ष का अनुभव, जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र सरकार / कानूनी निकाय / स्वायत्त निकाय / पब्लिक सेक्टर उपक्रम में वरिष्ठ पद पर होना चाहिए।			
19.	सहायक निदेशक (हिंदी)	2	स्तर-10 (रु.56100-177500).	चयन पद	35 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ी हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य , जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ी हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य , जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषय के रूप में पढ़ी हों; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य, जिसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी/हिंदी हो तथा डिग्री स्तर पर हिंदी/अंग्रेजी विषय के रूप में पढ़ी हो; और (ii) केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र सरकार / कानूनी निकाय / स्वायत्त निकाय / पब्लिक सेक्टर उपक्रम में हिंदी में पारिभाषिक	(i) 50% पद प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (ii) 50% पद सीधी भर्ती द्वारा।	**आयु : नहीं। शैक्षणिक अर्हताएं: स्तम्भ 7 में क्रम संख्या (i) में उपदर्शित विस्तार तक।**	प्रोन्नति : (i) इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (₹44900- 142400) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले ज्येष्ठ अनुवादक (हिंदी) या (ii) स्तम्भ 7 में दिए गए सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अहर्ताओं वाले अभ्यर्थी। प्रतिनियुक्ति : (क) (i) ऐसे अधिकारी, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (₹47600-151100) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी; तथा **(ख)** स्तम्भ 7 के क्रम संख्या (i) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता रखने वाले अधिकारी।

						कार्य और/या अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य में तीन वर्ष का अनुभव।			
20.	सहायक निदेशक (कॉरपोरेट संचार/प्रकाशन/ पुस्तकालय)	2	स्तर-10 (रु.56100-177500).	लागू नहीं होता।	35 वर्ष	<u>सहायक निदेशक (कॉरपोरेट संचार)</u> के लिए : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से पत्रकारिता एवं जनसंचार या मीडिया एवं विपणन संचार या मल्टीमीडिया एवं संचार या सामाजिक कार्य या विपणन में स्नातक डिग्री। वांछनीय: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से बिज़नस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री (विपणन) या जनसंचार में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा। <u>सहायक निदेशक (प्रकाशन) के लिए</u>: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या कला में स्नातक डिग्री ; किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी या प्रकाशन में डिप्लोमा; <u>सहायक निदेशक (पुस्तकालय) के लिए</u>: आवश्यक अर्हता: पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

						डिप्लोमा।			
21.	सहायक निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)	14	स्तर-10 (रु.56100-177500).	चयन पद	35 वर्ष	सहायक निदेशक (प्रशासन संवर्ग) के लिए: आवश्यक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री । वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री (कार्मिक विशेषज्ञता सहित); या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्था से कार्मिक प्रबंधन/मानव संसाधन प्रबंधन में दो वर्ष की अवधि की स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री / विधि स्नातक। सहायक निदेशक (वित्त संवर्ग) के लिए: आवश्यक अर्हता: वाणिज्य में स्नातक डिग्री या वित्त में स्नातक डिग्री या व्यवसाय अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री या अर्थशास्त्र में कला स्नातक या समतुल्य । वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्था से अधीनस्थ लेखा सेवा लेखाकार / बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री (वित्त विशेषज्ञता	(i) 75% पद प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (ii) 25% पद सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	**प्रोन्नति :** इन विनियमों में वेतन स्तर-7 (₹44,900-1,42,400) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले **अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव** जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो। प्रतिनियुक्ति : (क) (i) ऐसे अधिकारी, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (₹47600-151100) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी; तथा **(ख)** स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए सुसंगत विषय में विहित अहर्ताएँ रखने वाले अधिकारी।

						सहित)।			
समूह 'ख' के पद									
22.	पर्यवेक्षक (कम्प्यूटर एडेड डिजाइन)	18	स्तर-7 (रू.44900-142400)	चयन पद	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।	लागू नही होता।	प्रोन्नति : ऐसे सहायक (कम्प्यूटर एडेड डिजाइन) जिन्होंने इन विनियमों के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु.35400-112400) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।
23.	अनुभाग अधिकारी	113	स्तर-7 (रू.44900-142400)	चयन पद	30 वर्ष	आवश्यक अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कार्मिक/वित्त विशेषज्ञता सहित); या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्था से दो वर्ष की अवधि का कार्मिक प्रबंधन/मानव संसाधन प्रबंधन/वित्त में स्नाकोत्तर डिग्री / स्नाकोत्तर डिप्लोमा।	(i)75% पद प्रोन्नति द्वारा; और (ii) 25% पद सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	**प्रोन्नति:** ऐसे सहायक अनुभाग अधिकारी जिन्होंने इन विनियमों के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु 35400-112400) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने कार्यालय निर्देशिका परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से:** ऐसे सहायक अनुभाग अधिकारी या निजी सहायक जिन्होंने इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु 35400- 112400) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने कार्यालय निर्देशिका परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **प्रतिनियुक्तिः** (क) (i) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश्य पदधारण किए हुए हो: या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु 35400 - 112400) में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
गैर कार्यात्मक ग्रेड - पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले अनुभाग अधिकारी को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार गैर कार्यात्मक ग्रेड -I प्रदान किया जायेगा।									
24.	निजी सचिव	85	स्तर-7 (रू.44900-142400)	चयन पद	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 75% पद प्रोन्नति द्वारा और (ii) 25% पद	लागू नहीं होता।	**प्रोन्नति :** ऐसे निजी सहायक जिन्होंने इन विनियमों में वेतन

							सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर		मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु 35400- 112400) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने कार्यालय निर्देशिका परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम सेः** ऐसे निजी सहायक जिन्होंने इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु 35400- 112400) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने कार्यालय निर्देशिका परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
गैर कार्यात्मक ग्रेड - पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले निजी सचिव को वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 8 में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार गैर कार्यात्मक ग्रेड -I प्रदान किया जायेगा।									
25.	पुस्तकालयाध्यक्ष	5	स्तर-7 (रू.44900-142400)	चयन पद	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्कालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिग्री।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	**प्रोन्नतिः** ऐसे उप पुस्तकालयाध्यक्ष जिन्होंने इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400 - 142400) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **प्रतिनियुक्तिः** (क) (i) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश्य पदधारण किए हुए हो; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400) में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हो।
26.	वरिष्ठ अनुवादक (हिंदी)	2	स्तर-7 (रू.44900-142400)	अचयन पद	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता।	**प्रोन्नतिः** ऐसे कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) जिन्होंने इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400 - 112400) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।
27	उप-पुस्तकलायाध्यक्ष	10*	स्तर-6 (रू.35400-112400)	अचयन पद	लागू नहीं होता।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	लागू नहीं होता।	**प्रोन्नतिः** ऐसे पुस्तकालय सहायक जिन्होंने इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200- 92300) में छह

									वर्ष नियमित सेवा की है। **प्रतिनियुक्तिः** (क) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें नियमित आधार पर सदृश्य पदधारण किए हुए हो; तथा (ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ-7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं।
* 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वित होने के पश्चात् उपपुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के दोनों पदों का उसी स्तर में होने के कारण विलय कर दिया गया है।									
28.	पर्यवेक्षक (रिप्रोग्राफी)	4	स्तर-6 (रू.35400-112400)	अचयन पद	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता।	**प्रोन्नतिः** ऐसे वरिष्ठ प्रचालक जिन्होंने इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु. 29200- 92300) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है।
29 .	सहायक अनुभाग अधिकारी	208	स्तर-6 (रू.35400-112400)	अचयन पद	30 वर्ष	**अनिवार्य अर्हता :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य; और (ii) कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षाः अभ्यर्थी राष्ट्रीय कौशल अर्हक रुपरेखा के कम से कम स्तर-6 तक प्रवीण होना चाहिए। यह परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी; और (iii) महानिदेशक द्वारा किए गए विनिश्चय के अनुसार कंप्यूटर प्रवीणता में अर्हता कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी।	75% पद प्रोन्नति द्वारा और 25% पद सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	**प्रोन्नतिः** ऐसे वरिष्ठ सचिवालय सहायक जिन्होंने इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100) में दस वर्ष नियमित सेवा की है।
30.	निजी सहायक	115	स्तर-6 (रू.35400-112400)	अचयन पद	30 वर्ष	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री; और (ख) कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षाः अभ्यर्थी राष्ट्रीय कौशल अर्हक रुपरेखा के कम से कम स्तर-6 तक प्रवीण होना चाहिए। यह परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी; और (ग) अभ्यर्थी का आशुलिपि परीक्षा में सात मिनट तक सौ शब्द अंग्रेजी या हिंदी में श्रुतिलेखन होगा, जिसे पैंतालिस मिनट (अंग्रेजी श्रुतिलेखन) और साठ	75% पद प्रोन्नति द्वारा और 25% पद सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	प्रोन्नतिः इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100) में दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ आशुलिपिक और जिन्होनें सौ शब्द प्रति मिनट में शार्टहैंड परीक्षा एवं स्टाइल मैनुअल परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

						मिनट में (हिंदी श्रुतिलेखन) में प्रतिलेखन करना होगा और कंप्यूटर का ज्ञान अपेक्षित होगा। दृष्टि बाधित ऐसे अभ्यर्थी जिनकी निःशक्तता चालीस प्रतिशत और इससे अधिक हो, उन्हें अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा के प्रतिलेखन के लिए 70 मिनट और हिंदी आशुलिपि परीक्षा के प्रतिलेखन के लिए 90 मिनट दिए जाएंगे। अनुमेय गलतियां: 5 प्रतिशत। यदि विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार किसी भी प्रवर्ग में अर्हित अभ्यर्थी (अर्थात् 5 प्रतिशत गलतियों के साथ) की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है तो अनुमेय गलतिया 10 प्रतिशत तक शिथिलतनीय होंगी।			
31.	सहायक (कम्प्यूटर एडीड डिजाइन)	2	स्तर-6 (रू.35400-112400)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	ऑटों कैड में 5 वर्ष के अनुभव सहित विज्ञान में स्नातक डिग्री और अंग्रेजी में प्रैस-प्रूफ पठन, टाइपोग्राफी और सुसंगत प्रैस कार्य में कार्यसाधक ज्ञान; या ऑटो कैड और सुसंगत विषय में ड्राफ्टमैनशीप में 5 वर्ष के अनुभव सहित विज्ञान में स्नातक डिग्री; या ऑटो कैड और सुसंगत विषय में ड्राफ्टमैनशीप में 5 वर्ष के अनुभव सहित - सिविल / मैकेनिकल /इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
32.	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6	स्तर-6 (रू.35400-112400)	लागू नहीं होता।	27 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री /स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रुप में रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

						में मास्टर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय के रुप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री / स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें हिंदी और अंग्रेजी एक विषय के रुप में रहे हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें अंग्रेजी/हिंदी माध्यम और डिग्री स्तर पर हिंदी/अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो; (ii) हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपर्ययेन अनुवाद में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम; या हिंदी में शब्दावली संबंधी कार्य या अंग्रेजी से हिंदी में या इसके विपर्ययेन अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद कार्य में दो वर्ष का अनुभव।			
समूह 'ग' पद									
33.	वरिष्ठ प्रचालक	3	स्तर-5 (रू.29200-92300)	अचयन पद	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता।	**प्रोन्नतिः** ऐसे सहायक प्रचालक जिन्होंने इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500- 81100) में छह वर्ष की नियमित सेवा की है।
34.	पुस्तकालय सहायक	1	स्तर-5 (रू.29200-92300)	लागू नहीं होता।	27 वर्ष	तीन वर्ष के अनुभव के साथ पुस्तकालय विज्ञान में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के साथ स्नातक।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता
35.	आशुलिपिक	30	स्तर-4 (रू.25500-81100)	लागू नहीं होता।	27 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; (ii) **कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षाः** अभ्यर्थी को राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा के कम से कम स्तर-5 में प्रवीण होना	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

						चाहिए। यह परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी; और (iii) **आशुलिपि परीक्षाः** अंग्रेजी/ हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर अंग्रेजी/हिंदी आशुलिपि परीक्षा जिसे कम्प्यूटर पर क्रमशः 50 मिनट या 60 मिनट में प्रतिलेखन करना होगा। दृष्टि बाधित ऐसे अभ्यर्थी जिनकी निःशक्तता चालीस प्रतिशत और इससे अधिक हो, उन्हें अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा के प्रतिलेखन के लिए 70 मिनट और हिंदी आशुलिपि परीक्षा के प्रतिलेखन के लिए 90 मिनट दिए जाएंगे। अनुमेय गलतियां: 5 प्रतिशत। यदि विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष किसी भी प्रवर्ग में अर्हित अभ्यर्थी (अर्थात् 5 प्रतिशत गलतियों के साथ) की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है तो अनुमेय गलतियों में 10 प्रतिशत तक की शिथिलता की जा सकेगी ।			
36	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	227	स्तर-4 (रू.25500-81100)	अचयन पद	27 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; तथा (ii) कम्प्यूटर प्रवीणता में अर्हता कौशल परीक्षा जिसमें निम्नलिखित शामिल होगाः (क) वर्ड प्रोसेसिंग परीक्षा -15 मिनट में 2000 की-डिप्रेशन; (ख) माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर स्प्रेडशीट्स में परीक्षा 15 मिनट; और (ग) पावर प्वाइंट (माइक्रोसॉफ्ट पावर प्वाइंट) में परीक्षा पंद्रह मिनट।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	**प्रोन्नतिः** ऐसे कनिष्ठ सचिवालय सहायक जिन्होंने इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु 19900-63200) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने स्टाइल मैनुअल परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **प्रतिनियुक्तिः** (क) (i) ऐसे व्यक्ति जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए है; या (ii) ऐसे कनिष्ठ सचिवालय सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु.19900-63200) में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) ऐसे अधिकारी जिनके

									पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
37.	सहायक प्रचालक	3	स्तर-4 (रू.25500-81100)	अचयन पद	27 वर्ष	मैट्रिक या समतुल्य; किसी मुद्रण प्रेस या प्रतिष्ठित स्थापन में मशीनों या उपकरणों के रख- रखाव और प्रचालन का तीन वर्ष का अनुभव।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	प्रोन्नतिः ऐसे कनिष्ठ प्रचालक जिन्होंने इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु.19900 63200) में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।
38.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	95*	स्तर-2 (रू.19900-63200)	अचयन पद	27 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; (ii) **कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षाः** अभ्यर्थी राष्ट्रीय कौशल अहर्ता रुपरेखा के कम से कम स्तर-5 में प्रवीण होना चाहिए। यह परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी; और (iii) **टंकण गति परीक्षा** कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति होनी चाहिए। (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए 5 की-डिप्रेशन के औसत पर क्रमशः 10500 केडीपीएच / 9000 केडीपीएच के समरूप)। (अनुमत समय 10 मिनट)	90% पद सीधी भर्ती द्वारा; 10% पद ब्यूरो के मैट्रिकुलेट समूह ग (उन्नयित) कर्मचारियों से प्रोन्नति पर निम्नानुसार होंगेः 5% पद ब्यूरो द्वारा इस प्रयोजन के लिए आयोजित अर्हक परीक्षाओं के आधार पर। 5% पद भारतीय मानक ब्यूरो में 5 वर्ष की नियमित अनुमोदित सेवा वाले समूह ग (उन्नयित) कर्मचारियों की संयुक्त वरिष्ठता के आधार पर, जो अनुपयुक्त को अस्वीकार किए जाने के अध्यधीन होगा। परन्तु यदि 10% पदों को भरने के लिए संख्या पर्याप्त में मैट्रिकुलेट समूह 'ग' (उन्नयित) ब्यूरो के कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इन 10% पदों को विनियम 5 के अधीन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

							अधिकथित रीति में सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। परन्तु यह और कि, यदि सचिवालय सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले ब्यूरो के समूह 'ग' (उन्नयित) कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध पदों से अधिक है, तो बाद के वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए इस तरह की अधिकता पर विचार किया जाएगा।		
* पदधारी की प्रोन्नति के परिणामस्वरूप पुस्तकालय लिपिक के एक पद का कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद में आमेलित किया गया है।									
39.	संपदा प्रबंधक	2	स्तर-2 (रू.19900-63200)	लागू नहीं होता	40 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से हाई स्कूल डिग्री; और पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके पास सुरक्षा मामले में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
40.	स्टाफ कार ड्राइवर								
	(क) स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड)	1	स्तर-6 (रू.35400-112400)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	प्रोन्नतिः ऐसे स्टाफ कार चालक (ग्रेड-1) जिन्होंने इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु 29200- 92300) में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है।
	(ख) स्टाफ कार चालक (ग्रेड –I)	4	स्तर-5 (रू.29200-92300)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	प्रोन्नतिः ऐसे स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II) जिन्होंने इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रू 25500- 81100) में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है तथा ग्रेड- I पद के लिए व्यावसायिक परीक्षा

									उत्तीर्ण की हो।
	(ग) स्टाफ कार चालक (ग्रेड –II)	4	स्तर-4 (रू.25500-81100)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	प्रोन्नतिः ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) जिन्होंने इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रू 19900-63200) में 9 वर्ष की नियमित सेवा की है तथा ग्रेड-II पद के लिए व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	(घ) स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड)	4	स्तर-2 (रू.19900-63200)	लागू नहीं होता	30 वर्ष	हिंदी / अंग्रेजी / प्रादेशिक भाषा पढ़ने, लिखने की योग्यता हो; जिनके पास मोटर कार के लिए विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति सहित पाँच वर्ष का अनुभव हो; मोटर क्रियाविधि का ज्ञान।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
41.	कनिष्ठ प्रचालक	2	स्तर-2 (रू.19900-63200)	लागू नहीं होता	27 वर्ष	औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान से इलैक्ट्रीशियन/एयर-कंडीशनिंग/रेफ्रीजरेशन/मैकेनिक (डीजल इंजन) या इसके समतुल्य प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सुसंगत व्यवसाय मे प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात संबंधित व्यवसाय में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए या फिल्टर/बढ़ई/प्लंबर/वायर-मैन/ वैल्डिंग व्यवसाय में औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र, अधिमानतः आईएस 1161:1998 के अनुसार या इसके समतुल्य वेल्डर्स अहर्क परीक्षा भी उत्तीर्ण किया हो, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात संबंधित व्यवसाय में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
42 .	वरिष्ठ बहु कार्य कर्मचारीवृंद	40	स्तर-2 (रू.19900-	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	प्रोन्नतिः ऐसे बहु कार्य कर्मचारीवृंद जिन्होंने इन

			63200)						विनियमों में वेतन मैट्रिक्स स्तर-1 (रू.18000- 56900) में 4 वर्ष नियमित सेवा की है।
43.	सवार हरकारा	1	स्तर-2 (रू.19900-63200)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	**स्थानांतरणः** ऐसे लिफ्ट परिचर जो अंग्रेजी और/या हिंदी/प्रादेशिक भाषा लिखने, पढ़ने की योग्यता और जो विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति रखता हो। **प्रोन्नतिः** (i) ऐसे वरिष्ठ बहु कार्य कर्मचारीवृंद जिन्होंने इन नियमों मे स्तर-1 (रू 18000- 56900) में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ii) जिनके पास विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति हो।
44.	उद्यान पर्यवेक्षक	1	स्तर-2 (रू.19900-63200)	लागू नहीं होता	27 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिक्यूलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण। संबंधित कार्य का ज्ञान होना चाहिए।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
45.	लिफ्ट परिचर	2	स्तर-2 (रू.19900-63200)	लागू नहीं होता	27 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिक्यूलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण लिफ्ट संबंधी सुरक्षा उपकरण का ज्ञान हो;	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
46.	बहु कार्य कर्मचारीवृंद	344	स्तर-1 (रू.18000-56900)	लागू नहीं होता	27 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (उच्चतर माध्यमिक) कक्षा या इसके समतुल्य उत्तीर्ण या आईटीआई उत्तीर्ण हो।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
कैंटीन पद									
47.	हलवाई	4	स्तर-3 (रू.21700-69100)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा (नीचे टिप्पण – 3 देखें)	लागू नहीं होता	**प्रोन्नतिः** ऐसे सहायक हलवाई या रसोईया जिन्होंने इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु. 19900-63200) में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है।
48.	रसोईया	2	स्तर-2 (रू.19900-63200)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	**प्रोन्नतिः** ऐसे कैंटीन परिचर जिन्होंने इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स स्तर-1 (रु 18000-56900) मे कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

49.	सहायक हलवाई	1	स्तर-2 (रू.19900-63200)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	**प्रोन्नतिः** ऐसे कैंटीन परिचर जिन्होंने इन विनियमों में वेतन मैट्रिक्स स्तर-1 (रु 18000-56900) मे कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।
50.	मैनेजर- सह-विक्रेता	1	स्तर-3 (रू.21700-69100)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	इन पदों पर कोई भर्ती नहीं होगी (नीचे टिप्पण-3 देखें)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
51.	कूपन लिपिक	3	स्तर-2 (रू.19900-63200)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
52.	विक्रय लिपिक	2	स्तर-2 (रू.19900-63200)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
53.	कैंटीन परिचर	56	स्तर-1 (रू.18000-56900)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

टिप्पण-1: निदेशक (वित्त) और निदेशक (लेखा) के पद अंतः परिवर्तनीय होंगे।

टिप्पण-2: निदेशक (प्रशासन), निदेशक (साधारण सेवाएं), निदेशक (स्थापन), निदेशक (मानव संसाधन विकास), निदेशक (सतर्कता) और निदेशक (प्रशिक्षण) के पद अंतःपरिवर्तनीय होंगे।

टिप्पण-3: क्रम संख्या 47 से 53 में उल्लिखित पद समाप्त हो रहे संवर्ग के पद है और वर्तमान कर्मचारियों से संबन्धित हैं और उनकी सेवानिवृत/प्रोन्नति/सेवामुक्ति/त्यागपत्र/मृत्यु के परिणामस्वरूप सेवा की समाप्ति के पश्चात भविष्य में कैंटीन कर्मचारियों की और भर्ती नहीं की जाएगी।

अलका, सचिव (बीआईएस)

[विज्ञापन-III/4/असा./429/2026-27]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2026

F. No. BS/ XI/08/03/2026-27.— In exercise of the powers conferred by section 39 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Bureau of Indian Standards (Recruitment to Administration, Finance and Other Posts) Regulations, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Bureau of Indian Standards, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of administration and finance, namely:

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Recruitment to Administration, Finance and Other Posts) Regulations, 2026.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires –

(a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);
(b) "Administration, Finance and Other Posts" means the posts specified in the Schedule appended to these regulations;
(c) "appointing authority", the Director General and the Deputy Director General (Administration);

(d) "rules" means the Bureau of Indian Standards Rules, 2018;

(e) "Schedule" means a Schedule appended to these regulations;

(f) "Screening Committee" means the Committee constituted under sub-clause (a) of clause (v) of sub-regulation (1) of regulation 5;

(g) "Selection Committees" means the Committees constituted under regulation 8;

(h) "Public Disclosure Scheme" means the initiative of the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensioners, Government of India wherein for making available publicly scores of non-recommended willing candidates (Candidates who qualify the written examinations but are not recommended after the interview) of the recruitment examinations conducted by the Government recruiting agencies viz. the Union Public Service Commission, Railway Recruitment Board, Defence Research Development Organization, Indian Navy and Staff Selection Commission etc.

(2) Words and expressions used in these regulations but not defined herein and defined in the Act or the rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the rules.

3. Method of recruitment. – The number of posts, level in the Pay Matrix, the method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters connected thereto shall be as specified in columns (2) to (10) of the Schedule:

Provided that the age-limit, tenure and deputation allowance for appointment on deputation basis shall be in accordance with the guidelines of the Central Government.

4. Direct recruitment. – (1) Where any post specified in column (2) of the Schedule is required to be filled by direct recruitment, the following procedure shall be followed, namely:

(A) Order of priority for methods of recruitment. – Recruitment to posts under these regulations shall be carried out in accordance with the following order of priority;

(a) First priority. – Public Disclosure Scheme**:** First preference shall be given to filling posts through the Public Disclosure Scheme as prescribed under clause (iii);

(b) Second priority - Other methods (Competitive Examination or Departmental Recruitment): recruitment through open competitive examination as prescribed under clause (iv), or through the departmental Screening and Selection Committee process as prescribed under clause (v) shall be resorted to only when the Public Disclosure Scheme is inapplicable or unavailable:

Provided that if vacancies remain unfilled by Public Disclosure Scheme, the same may be filled up after the approval of Director General in case of Group 'B' and Group 'C' posts, and by the Executive Committee in the case of Group 'A' posts through other methods (Competitive Examination or Departmental Recruitment).

(i) Advertisement of vacancies. – Vacancies shall be advertised in the Employment News, Rozgar Samachar, leading newspapers and on the official website of the Bureau which shall contain, among other information, the following particulars; namely: -

(a) number of vacancies available;

(b) reservation details for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons as notified by the Central Government from time to time;

(c) prescribed educational qualifications, experience and age-limit; and

(d) any other conditions of eligibility as may be prescribed.

(ii) Eligibility criteria. – A candidate shall be eligible for a post only if he or she possesses the prescribed qualifications, experience and falls within the stipulated age-limit, subject to the following relaxations:

Provided that the upper age-limit may be relaxed in favour of officers and employees of the Bureau and in respect of such other categories of persons as may from time to time, be notified by the Central Government, to the extent and subject to the conditions specified for such category:

Provided further that the upper age-limit may be relaxed for Departmental candidates up to the age of fifty years in the case of posts for which the prescribed age-limit is less than fifty years and by five years in the case of posts for which the prescribed age-limit is fifty years or more.

(iii) Selection through Public Disclosure Scheme. – In the case of posts to be filled through Public Disclosure Scheme, the following procedure shall apply:

(a) Group 'A' Posts: Eighty-five per cent (85%) weightage shall be given to the final marks - comprising the Main Examination and Interview or Personality Test - secured by the candidate in the latest Examination

conducted under the Public Disclosure Scheme, as amended from time to time and fifteen per cent (15%) weightage shall be given to the personal interview conducted by the Selection Committee and the number of candidates to be called for such interview shall not exceed six times the number of vacancies advertised.

(b) Group 'B' and Group 'C' Posts: Candidates shall be selected on the basis of the Final Marks - comprising the Main Examination and Interview or Personality Test or Skill Test, as applicable - secured in the latest Examination conducted under the Public Disclosure Scheme as amended from time to time:

Provided that for Group 'B' and Group 'C' posts, selection shall be made without any interview by the Bureau:

Provided further that in the case of recruitment to posts in the Stenographic Cadre through the Public Disclosure Scheme where the examination under the said recruitment has already tested shorthand and related stenographic skills as part of its selection process, it shall not be necessary to separately conduct the Skill Test for stenographic skills as prescribed in the Schedule for the Stenographic Cadre; and in such cases, the merit list for preparation of the selection list shall be drawn up solely on the basis of the marks obtained by the candidates in the written examination component of that particular examination, subject to their having qualified the Skill Test conducted as part of that examination.

(c) Determination of Relevant Examination. – The examination under the Public Disclosure Scheme through which recruitment is to be made shall be decided by the Director General in the case of Group 'B' and Group 'C' posts and by the Executive Committee in the case of Group 'A' posts.

Explanation. – for the purposes of this clause, posts carrying the pay in the pay matrix at the level 10 and above shall be equivalent to Group 'A' posts in the Central Government, Posts carrying the pay in the pay matrix at the level 6 to 9 shall be equivalent to Group 'B' posts in the Central Government and posts carrying the pay in the pay matrix at the level from 1 to 5 shall be equivalent to Group 'C' posts in the Central Government.

(iv) Selection Process. – Competitive Examination; In case of posts to be filled by direct recruitment through competitive examination, the following process shall be adopted;

(a) Written or online examination; a written or online examination, including shorthand, typewriting and other practical tests as applicable in the Schedule shall be conducted by the Bureau departmentally or through a professional institution or agency on dates and at venues to be determined by the Director General.

(b) Selection for Group 'A' posts shall be done by giving eighty-five per cent (85%) weightage to the written or online examination and fifteen per cent (15%) weightage to a personal interview to be conducted by the Selection Committee. Candidates to be called for interview shall not exceed six times the number of advertised vacancies, ranked in order of merit from among those who have secured at least fifty per cent (50%) marks in the written or online examination:

Provided that for Group 'B' and Group 'C' posts selection shall be made without any interview.

(c) Selection for Group 'B' and Group 'C' posts shall be done on the basis of merit as determined by the aggregate marks obtained in the written or online examination, subject to their qualifying the prescribed Skill Test specified in the Schedule - namely, Shorthand Test, Typing Speed Test, Trade Test, or a combination thereof. Such Skill Tests shall be of a qualifying nature only. The number of candidates to be called for the Skill Test shall not exceed six times the number of advertised vacancies, ranked in order of merit from among those who have secured at least fifty per cent (50%) marks in aggregate in the written or online examination.

(v) Selection by Screening and Selection Committee. – In the case of posts to be filled by direct recruitment through Public Disclosure Scheme and a method other than the competitive examination prescribed under clause (iv) above, the following procedure shall apply.

(a) Screening Committee. – Applications received shall be screened by a Screening Committee comprising not less than three officers of the Bureau of the rank not below that of Deputy Director, of whom the senior-most shall serve as Chairperson, to be nominated by the Director General:

Provided that at least one member of the Screening Committee shall hold a rank above that of the post for which the selection is being made.

(b) Selection Committee. – The candidates shortlisted by the Screening Committee shall be placed before the Selection Committee for final consideration and selection.

(vi) Relaxation for reserved categories. – Where posts reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen or other special categories of persons remain unfilled on the basis of the criteria prescribed under clause (iv) candidates belonging to such categories may be selected by granting relaxation in accordance with the

guidelines issued by the Central Government, so as to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the suitability of such candidates for appointment to the post concerned.

(vii) Waiting List. – In addition to the select list of successful candidates, a waiting list shall be drawn up in order of merit for filling up vacancies that may subsequently arise. Such waiting list shall remain valid for a period of one year from the date when such list is drawn:

Provided that the number of candidates in the waiting list shall not exceed the number of posts advertised.

(2) The candidates appointed by direct recruitment under sub-regulation (1) shall be on probation for two years in accordance with the provisions of the Bureau of Indian Standards (Terms and Conditions of Service of Employees) Regulations, 2020, during which period, they may be required to undergo such training or may be given such responsibilities as may be deemed necessary by the Appointing Authority or may be required to pass departmental examination or examination for successful completion of probation.

Provided that the module of the training, responsibilities to be given and the departmental examination to be passed for successful completion of probation shall be such as may be recommended by the appointing authority and approved by the Director General from time to time:

Provided further that where the Director General is the appointing authority, approval of the Executive Committee shall be obtained.

5. Deputation. – (1) Where any posts specified in column (2) of the schedule is required to be filled up by deputation, such posts shall be advertised in at least two leading newspapers and also on the website of the Bureau giving full information regarding number of posts, prescribed qualifications, age-limit, special expertise, if any, required and the experience as specified in the Schedule and such other matter as may be necessary:

Provided that the maximum age-limit for appointment on deputation basis shall not exceed fifty-six years on the closing date of the receipt of applications:

Provided further that the period of deputation shall not ordinarily exceed three years and the maximum period of deputation shall be five years.

(2) The candidates who fulfill the prescribed requirements and are shortlisted by the Screening Committee constituted under sub-clause (a) of clause (v) of sub-regulation (1) of regulation 4 shall be called for selection by the Selection Committee.

6. Promotion. - (1) For the purpose of promotion -

(i) a post shall be either a selection or a non-selection post as specified in column (5) of the Schedule;

(ii) promotion to a selection post shall be with due regard to seniority and the appropriate Selection Committee shall judge the suitability of eligible employees within the zone of consideration in accordance with the procedure laid down by the Executive Committee from time to time for promotion taking into account the record of service including Annual Performance Appraisal Reports and recommend the order in which promotions may be made;

(iii) promotion to a non-selection post shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit as determined from the record of service including Annual Performance Appraisal Reports by the appropriate Selection Committee.

(2) The employees shall be entitled to the grant of financial up-gradations under the Modified Assured Career Progression Scheme as admissible to the employees of the Central Government as per the guidelines laid down by Central Government from time to time.

7. Appointing authority. - (1) Appointments to all posts shall be made by the Appointing Authority on the recommendations of the Selection Committees specified in regulation 8:

Provided that appointments to all posts of the level of Deputy Director General shall be made with the approval of the Central Government:

Provided further that the appointment to the post of Chief Vigilance Officer on deputation basis requiring approval of the Central Government shall not be referred to the Selection Committee.

8. **Composition of Selection Committees.** – (1) The Selection Committee for Posts in level-13 in the Pay Matrix and above shall consist of the following members, namely: -

(i) Director General, who shall be the Chairperson of the Committee;
(ii) Financial Advisor of the Ministry having administrative control of the Bureau;
(iii) a representative of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the Bureau;
(iv) two members of the Executive Committee to be nominated by Director General; and
(v) one or two senior officer of the Bureau to be nominated by the Director General.

(2) The Selection Committee for Posts in level-10 to level-12 in the Pay Matrix shall consist of the following members, namely: -

(i) Director General, who shall be the Chairperson of the Committee;
(ii) Deputy Director General (Administration);
(iii) Scientist 'G' or Scientist 'F' of the Bureau to be nominated by the Director General;
(iv) a nominee of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the Bureau; and
(v) one or two senior officers to be nominated by the Director General.

(3) Selection Committee for posts other than specified in sub-regulation (1) and (2) shall consist of the following members, namely:

(i) Deputy Director General (Administration), who shall be the Chairperson;
(ii) one officer dealing with personnel functions to be nominated by the Director General;
(iii) two other officers to be nominated by the Director General; and
(iv) Assistant Director or Deputy Director dealing with personnel functions in the Bureau.

(4) The composition of the Screening Committee for the purpose of considering and recommending the cases for grant of financial up-gradations under Modified Assured Career Progression Scheme and Non-Functional Grade under these regulations shall be the same as respective Selection Committee;

(5) The recommendations of respective Selection Committees shall be submitted to the Director General for approval:

Provided that the Selection Committee specified in sub-regulation (2) and (3) shall consist of two members belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribe or the Other Backward Classes or a Minority community or Women.

9. Categories of posts and their sanctioned strength. – The categories of posts and their sanctioned strength shall be such as may, from time to time, be determined by the Executive Committee with the approval of the Central Government.

10. Power to relax. – Where the Bureau is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of persons:

Provided that the approval of Central Government shall be taken for such relaxation before it is implemented.

11. Savings. – Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

12. Interpretation. – If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be decided by the Bureau with the approval of the Central Government.

SCHEDULE (Administration, Finance and Other Posts Cadre)

(*See* Regulations 3, 4, 5 and 6)

Sl. No.	Name of Post.	Number of Posts.	Level in Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by Promotion or transfer or transfer on deputation/absorption, the grades from which promotion or transfer or transfer on deputation/absorption to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Deputy Director General (Administration)	1	Level-13A (Rs.131100-216600).	Selection post.	50 years.	(i) Masters of Business Administration from a recognized University or All India Council for Technical Education approved Institution with specialization in Personnel Management or Human Resources Management; or Post Graduate Diploma in Management (two years' duration) from a recognized University or All India Council for Technical Education approved Institution with specialization in Personnel Management or Human Resource Management; and (ii) At least fifteen years' experience in Personnel Management, General Administration, out of which, at least five years shall be in a senior position in the Central	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Not applicable.	Promotion: Secretary/Director (Human Resource Development)/ Director (Administration)/ Director (General Services)/ Director (Establishment)/ Director (Training)/ Director (Legal) with two years' regular service in the Selection Grade: Provided that the incumbents holding the posts of Director (Printing), Director (Foreign Language) and Director (Information Services) with two years regular service in the Selection Grade on the date of notification of these regulations in the Official Gazette and

						Government or State Government or Union territory administration or statutory organization or autonomous bodies or public sector undertaking or reputed Government agency.			possessing the educational qualifications prescribed at serial number (i) under Column (7) shall also be eligible for promotion to the post of Deputy Director General (Administration). Deputation: (a) officers holding analogous post on regular basis; or officers with two years regular service in Level-13 (Rs. 123100-215900) in the Pay Matrix; and (b) possessing educational qualifications prescribed for direct recruits under Column (7), serial number (i).
2.	Deputy Director General (Finance)	1	Level-13A (Rs.131100-216600).	Selection post.	50 years.	(i) Chartered Accountant or Cost and Works Accountant or Master of Business Administration with specialization in Finance from recognized University or All India Council for Technical Education approved Institute; and (ii) At least fifteen years'	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Not applicable.	Promotion: Director (Finance) or Director (Accounts) with two years' regular service in the Selection Grade. Provided that the incumbents holding the posts of Director (Printing),

						experience in Financial Management, out of which at least five years shall be in a senior position in Central Government or State Governments or Union territory Administration or statutory organization or autonomous body/ public sector undertaking or reputed Government agency.			Director (Foreign Language) and Director (Information Services) with two years regular service in the Selection Grade on the date of notification of these regulations in the Official Gazette and possessing the educational qualifications prescribed at serial number (i) under Column (7) shall also be eligible for promotion to the post of Deputy Director General (Finance). Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with two years regular service in Level-13 (Rs.123100-215900)- in the Pay Matrix; and (b) Possessing educational qualifications prescribed for direct recruits in Column 7, serial number (i).
3.	Director (Selection Grade)	4*	Level-13 (Rs.123100-215900).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable	By promotion.	Not applicable.	Secretary/ Director (Administration)/ Director (Human

									Resource Development) / Director (General Services)/ Director (Vigilance)/ Director (Corporate Communication)/ Director (Establishment)/ Director (Training)/ Director (Accounts)/ Director (Finance)/ Director (Legal) with five years' regular service in the post: Provided that the incumbents holding the posts of Director (Printing), Director (Foreign Language) and Director (Information Services) with five years' regular service in the post shall also be eligible.
*The posts shall be non-functional selection grade.									
4.	Chief Vigilance Officer	1	Level-13 (Rs.123100-215900).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Not applicable.	Officers of Central Government holding analogous post or officers with five years' regular service in level-12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix. Experience in vigilance matters.
5.	Secretary	1	Level-12	Selection	50 years.	(i) Post Graduate	By promotion	Age: No	Promotion:

			(Rs.78800-209200).	post.		Degree in Personnel Management or Human Resource Management or Labour and Social Welfare from a recognized University or All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management or Labour and Social Welfare from a recognized University or All India Council for Technical Education approved Institution; and (ii) Ten years' experience in the field of Personnel Management of which five years' shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous bodies or public sector undertaking/reputed Government agency	failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) under Column 7.	Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix in these regulations and possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) under Column (7). Deputation: a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix; and (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) under column 7.
6.	Director (Finance)	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	(i) Bachelor's Degree from a recognized university; (ii)Chartered Accountant or Cost & Works Accountant or Subordinate Accounts Service Accountant or Master of Business	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age: No Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) and (ii) under Column 7.	Promotion*:* Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the

						Administration (with finance specialization) from a recognized university or All India Council for Technical Education approved Institution; and (iii) Ten years' experience in accounts or finance work of which five years shall be in a senior position in the Central Government or State Governments or Union territory Administration or statutory organization or autonomous body/ public sector undertaking or reputed Government agency.			Pay Matrix in these regulations and possessing qualifications of (i) Bachelor's Degree from a recognised university; (ii) Chartered Accountant/ Cost & Works Accountant/ Subordinate Accounts Service Accountant/ Master of Business Administration (with finance specialization) from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution. Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix; and (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) and (ii) under Column 7.
7.	Director (Administration)	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	(i) Master of Business Administration (with Personnel	By promotion failing which by deputation and failing both by	Age : No Educational qualificatio	Promotion: Deputy Director (Administrat

						specialization) of two years' duration from a recognised university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognised university; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution; and (ii) Ten years' experience in Office Management, Stores Purchase, General Services of which five years shall be in a senior position in the Central Government or State Governments or Union territory administration or statutory organisation/ autonomous body or public sector undertaking with thorough knowledge of Government of India Rules pertaining to office management, stores purchase, etc; experience in staff welfare activities and building maintenance.	direct recruitment.	n: To the extent indicated at serial number (i) under Column 7.	ion and Finance) with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in these regulations: Possessing Master of Business Administration (with Personnel specialisation) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution. Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five

									years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix; and (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) under Column (7).
8.	Director (Legal)	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	Bachelor's Degree in Law from a recognised university or institute; and At least ten years' experience in the field of Law, out of which five years shall be in a senior position in Central Government/ State Government/ Union territory Administration/ statutory/ autonomous body/ Public Sector Undertaking.	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age : No Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) under Column (7).	Promotion: Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix in these regulations and possessing a Bachelor's Degree in Law from a recognised University. Deputation: (a) Officer holding analogous post on regular basis; or Officer with five years' regular service in the level-11(Rs.67700-208700) in the Pay Matrix; or Officers with ten years' regular service in the level-10 (Rs.56100-177500) in

									the Pay Matrix; or Officers with ten years' combined regular service in the level-11 and level-10 in the Pay Matrix; and (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) under column (7).
9.	Director (Corporate Communication) *	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	(i) Masters of Business Administration (Marketing) or Master‘s Degree or Post Graduate Diploma in Mass Communication or Master‘s Degree or Post Graduate Diploma in Social Work from a recognized University/Institution; and (ii) At least ten years' experience in the field of Marketing / Mass Communication / Social Work of which five years' shall be in a senior position in Central Government/ State Government/ Union territory Administration/ statutory/ autonomous body/ Public Sector Undertaking.	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age : No Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) under Column 7.	Promotion: Deputy Director (Corporate Communication/ Publication) with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in these regulations possessing Masters of Business Administration (Marketing) or Master‘s Degree or Post Graduate Diploma in Mass Communication or Master‘s Degree or Post Graduate Diploma in Social Work from a recognized University/ Institution. Deputation: (a) Officers holding analogous posts on

									regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix. (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment under column 7.
* The post of Director (Public Relations) shall be personal to the present incumbent. The post shall be re-designated as Director -Corporate Communication) on cessation of the service of the incumbent Director (Public Relations) on retirement/resignation/etc.									
10.	Director (General Services) *	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	(i) Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution; and (ii) Ten years' experience in Office Management, Stores Purchase, General Services of which five years shall be in a senior position	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age : No Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) under Column 7.	Promotion: Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in these regulations: Possessing Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university; or

						in Central Government or State Governments or Union territory Administration or statutory/ autonomous body/ Public Sector Undertaking with thorough knowledge of Central Government rules pertaining to office management, stores purchase, etc; experience in staff welfare activities and building maintenance.			Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution. Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix; and (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) under Column (7).
* The post of Director (Information Services) shall be personal to the present incumbent. The post shall be re-designated as Director (General Services) on cessation of the service of the incumbent Director (Information Services) on retirement/resignation/etc.									
11.	Director (Training) *	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	(i) Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university or All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age : No Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) under Column (7).	Promotion: Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix in these regulations: Possessing Master of Business

						from a recognized university; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university or All India Council for Technical Education approved institution; and (ii) Ten years' experience in the field of Personnel Management of which five years' shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking.			Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university or All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university or All India Council for Technical Education approved institution. Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix; and (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial

									number (i) under Column (7).
* The post of Director (Printing) shall be personal to the present incumbent. The post shall be re-designated as Director (Training) on cessation of the service of the incumbent Director (Printing) on retirement/resignation/etc.									
12.	Director (Human Resource Development)*	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	(i) Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years 'duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution; and (ii) Ten years' experience in the field of Personnel Management of which five years' shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/Public Sector Undertaking.	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age: No Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) under Column 7.	Promotion: Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix in these regulations: Possessing Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education

									approved institution. Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix; and (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) under Column 7.
* The post of Director (Sales) shall be personal to the present incumbent. The post shall be re-designated as Director (Human Resource Development) on cessation of the service of the incumbent Director (Sales) on retirement/resignation/etc.									
13.	Director (Establishment)	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years	(i) Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years 'duration from a recognized university or All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution; and	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age: No Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) under Column (7).	Promotion: Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix in these regulations: Possessing Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years 'duration from a recognized university or All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate

						(ii)Ten years' experience in the field of Personnel Management of which five years' shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking.			Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution. Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix; and (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) under Column 7.
14.	Director (Accounts)	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	(i) Bachelor's Degree from recognized university; (ii)Chartered Accountant or Cost and Works Accountant or Subordinate Accounts Service Accountant or Master of Business	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age : No Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) and (ii) under Column 7.	Promotion: Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix in

						Administration (with specialization in finance) from a recognized university or All India Council for Technical Education approved Institution; and (iii) Ten years' experience in accounts work of which five years shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking.			these regulations and possessing qualifications of Chartered Accountant/ Cost Accountant/ Subordinate Accounts Service Accountant/ Master of Business Administration (with finance specialization) from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution. Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix; and (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) and (ii) under Column 7.
15.	Director (Vigilance)*	1	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	50 years.	(i) Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Age : No Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) under Column 7.	Promotion: Deputy Director (Administration and Finance) with five years' regular service in

						Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution; and (ii) Ten years' experience in the field of Personnel Management/ Vigilance of which five years' shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking.			the level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix in these regulations: Possessing Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree with specialization in Human Resource Management from a recognized university; or Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved institution. Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-11

									(Rs.67700-208700) in the Pay Matrix; and (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment at serial (i) under Column 7.
* The post of Director (Foreign Language) shall be personal to the present incumbent. The post shall be re-designated as Director (Vigilance) on cessation of the service of the incumbent Director (Foreign Language) on retirement / resignation/etc.									
16.	Deputy Director (Hindi)	2	Level-11 (Rs.67700-208700).	Selection post.	40 years.	(i) Master's Degree/ Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in Hindi with English as a subject at the Degree level; or Master's Degree/Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in English with Hindi as a subject at the Degree level; or Master's Degree/Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in any subject with Hindi and English as subjects at the Degree level; or Master's Degree/Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in any subject with English/Hindi medium and Hindi/English as subjects at the Degree level; and (ii) Five years' experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or vice-	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Not applicable.	Promotion: Assistant Director (Hindi) with five years' regular service in the level-10 (Rs.56100-177500) in the Pay Matrix in these regulations. Deputation: (a) (i) Officers holding analogous posts on regular basis (ii) Officers with five years' regular service in the level-10 (Rs.56100-177500 in the Pay Matrix; and (b) Officers possessing Educational qualifications prescribed for direct recruitment at serial number (i) under Column 7.

						versa, preferably of technical or scientific literature.			
17.	Deputy Director (Corporate Communication/ Publication/ Library)	12	Level-11 (Rs.67700-208700).	Selection post.	40 years.	For Deputy Director (**Corporate Communication**): (i) Masters of Business Administration (Marketing) or Master‘s Degree or Post Graduate Diploma in Mass Communication or Master‘s Degree or Post Graduate Diploma in Social Work from a recognized University/Institution; and (ii) Five years' experience in the field of Marketing / Mass Communication / Social Work, out of which five years shall be in a senior position in Central Government/ State Government/ Union Territory Government/ Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking. <u>For Deputy Director (Publication):</u> (i) Bachelor‘s Degree in Science or Arts from a recognized university; (ii) Diploma in Printing Technology/ Publication from a recognized institution; and	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Not applicable.	Promotion: Assistant Director (Corporate Communication / Publication/ Library) with five years’ regular service in the level-10 (Rs.56100-177500) in the Pay Matrix in these regulations. Deputation: (a) (i) Officers holding analogous post on regular basis; or (ii) Officers with five years‘ regular service in the level-10 (Rs.56100-177500) in the Pay Matrix; and (b) Officers possessing educational qualifications prescribed for direct recruitment under column 7 in the relevant discipline.

						(iii) At least five years' experience in ~~-~~responsible capacity in a well-established publishing/printing house of technical and scientific publications of which five years' shall be in a senior position in Central Government/ State Government / Union Territory Government/ Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency~~.~~ <u>For Deputy Director (Library):</u> (i) Master's Degree (Post Graduate Degree) in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institution; or Post Graduate Diploma in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institution; and (ii) At least five years' experience in a library under Central Government/State Government// Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ recognized University/ Institute. Desirable:			

						Diploma in Computer Applications.			
18.	Deputy Director (Administration & Finance)	11	Level-11 (Rs.67700-208700).	Selection post.	40 years,	<u>For Deputy Director (Administration Discipline)</u>: (i)Master of Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree/ Post Graduate Diploma in Personnel Management / Human Resource Management of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Degree in law from a recognized university/ Bachelor of law; and (ii)Eight years' experience in the field of personnel management, out of which five years shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking. <u>For Deputy Director Finance Discipline</u>:	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Not applicable,	Promotion: Assistant Director (Administration and Finance) with five years' regular service in the level-10 (Rs.56100-177500) in Pay Matrix in these regulations. Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-10 (Rs.56100-177500) in the Pay Matrix and possessing five years' experience in the field of Administration /Finance; and (b) Officers possessing educational qualifications prescribed for direct recruitment under column 7 in the relevant discipline.

						(i)Bachelor's Degree from a recognized University; (ii)Chartered Accountant/ Cost & Works Accountant/ Subordinate Accounts Service Accountant/ Master of Business Administration (with finance specialization); (iii)Eight years' experience in accounts work, out of which five years shall be in a senior position in Central/ State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking.			
19.	Assistant Director (Hindi)	2	Level-10 (Rs.56100-177500).	Selection post.	35 years.	(i) Master's Degree/ Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in Hindi with English as a subject at the Degree level; or Master's Degree/Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in English with Hindi as a subject at the Degree level; or Master's Degree/Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in any subject with Hindi and English as subjects at the Degree level; or Master's Degree/Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in any	(i) 50% post by promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment. (ii) 50% post by direct recruitment.	Age: No Educational qualification: To the extent indicated at serial number (i) under Column 7.	Promotion: (i) Senior Translator (Hindi) with five years' regular service in the level-7 (Rs.44900-142400) in the Pay Matrix in these regulations; and (ii) The candidate possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment as given column 7. Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular

						subject with English/Hindi medium and Hindi/English as subjects at the Degree level; and (ii) Three years' experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or vice-versa in Central Government/ State Government/ Union Territory Government/ Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking.			service in the level-8 (Rs.47600-151100) in the Pay Matrix; and (b) Officers possessing educational qualifications prescribed for deputation at serial number (i) under Column 7.
20.	Assistant Director (Corporate Communication/Publication/ Library)	2	Level-10 (Rs.56100-177500).	Not applicable.	35 years	<u>For Assistant Director (Corporate Communication)</u> ÷ Bachelor Degree in Journalism and Mass Communication or Media and marketing communication or multimedia and communication or social work or marketing from a recognized university/ institution. Desirable: Masters of Business Administration (Marketing) or Master's Degree or Post Graduate Diploma in Mass Communication or Master's Degree or Post Graduate Diploma in Social Work from a recognized University/ Institution.	By Direct Recruitment.	Not applicable.	Not applicable.

						For Assistant Director (Publication)~~:~~ (i) Bachelor's Degree in Science or Arts from a recognized university; (ii) Diploma in Printing Technology or Publication from a recognized institution; For Assistant Director (Library): Essential Qualification: Bachelor of Library Science (B. Lib Sc.) or Bachelor of Library and Information Science. Desirable: Master's Degree (Post Graduate Degree) in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institution or Post Graduate Diploma in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institution.			
21.	Assistant Director (Administration and Finance)	14	Level-10 (Rs.56100-177500).	Selection post.	35 years	For Assistant Director (for Administration Discipline): Essential Qualification: Bachelor Degree in any stream from a recognized university; Desirable: Master of	i) 75% of posts by promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment. ii) 25% of posts by Direct Recruitment	Not applicable	Promotion: Section Officer/ Private Secretary with five years' regular service in the level-7 (Rs.44900-142400) in the Pay Matrix in these regulations possessing

						Business Administration (with Personnel specialization) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree/Post Graduate Diploma in Personnel Management / Human Resource Management of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Degree in law from a recognized university / Bachelor of law. For Assistant Director (For Finance Discipline): Essential Qualification: Bachelor in Commerce or Bachelor in Finance or Bachelor of Business Economics, Bachelor of Arts in Economics or equivalent. Desirable: Subordinate Accounts Service Accountant/ Master of Business Administration (with finance specialization) from a recognized university/ All India Council for Technical			Bachelor's Degree from recognized University. Deputation: (a) Officers holding analogous post on regular basis; or Officers with five years' regular service in the level-8 (47600-151100) in the Pay Matrix; (b) Officers Possessing educational qualifications prescribed for direct recruitment under column 7 in the relevant discipline.

						Education approved Institution.			
GROUP- B POSTS									
22.	Supervisor (Computer Aided Design)	18	Level-7 (Rs.44900-142400).	Selection post.	Not applicable	Not applicable.	By promotion.	Not applicable.	Promotion: Assistant (Computer Aided Design) with five years' regular service in the level-6 (Rs.35400-112400) in the Pay Matrix in these regulations.
23.	Section Officer	113	Level-7 (Rs.44900-142400).	Selection post.	30 years.	Essential Qualification: Bachelor Degree in any stream from a recognized university. Desirable: Master of Business Administration (with Personnel/ Finance specialization) of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; or Post Graduate Degree/ Post Graduate Diploma in Personnel Management/ Human Resource Management/ Finance of two years' duration from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution.	(i) 75% of posts by promotion; and (ii) 25% of posts on the basis of Limited Departmental Competitive Examination failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Not applicable.	Promotion: Assistant Section Officer with five years' regular service in the level-6 (Rs.35400-112400) in the Pay Matrix in these regulations and who has passed the Office Manual Test. Through Limited Departmental Competitive Examination : Assistant Section Officer or Personal Assistant with three years' regular service in the level-6 (Rs.35400-112400) in the Pay Matrix in these regulations and who has passed the Office Manual Test. Deputation: (a) (i)

									persons holding analogous post on regular basis; or (ii) Candidates in level-6 (Rs.35400-112400) in the Pay Matrix with three years' regular service. (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment under column 7.
Non-functional Grade**:** - Non-functional Grade-I in Level – 8 in the Pay Matrix, as per recommendation of the Seventh Central Pay Commission, shall be granted to the Section Officer with five years' regular service in the post.									
24.	Private Secretary	85	Level-7 (Rs.44900-142400).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	(i) 75% of posts by promotion~~;~~ and (ii) 25% of posts on the basis of Limited Departmental Competitive Examination.	Not applicable.	Promotion: Personal Assistant with five years' regular service in the level-6 (Rs.35400-112400) in the Pay Matrix in these regulations and who has passed the Office Manual Test. Through Limited Departmental Competitive Examination : Personal Assistant with three years' regular service in the level-6 (Rs.35400-112400) in the Pay Matrix in these regulations and who has passed the Office Manual Test.

Non-functional Grade: - Non-functional Grade-I in Level–8 in the Pay Matrix, as per recommendation of the Seventh Central Pay Commission, shall be granted to the Private Secretary with five years' regular service in the post.									
25.	Librarian	5	Level-7 (Rs.44900-142400).	Selection post.	30 years.	Master's Degree in Library Science from a recognized University; or Master's Degree in Library and Information Science from a recognized University; or Degree in Library Science from a recognized University; or Degree in Library and Information Science from a recognized University.	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Not applicable.	Promotion: Deputy Librarian with three years' regular service in the level-6 (Rs.35400-112400) in the Pay Matrix in these regulations. Deputation: (a) (i) Persons holding analogous post on regular basis or (ii) Candidates in the level-6 (Rs.35400-112400) in the Pay Matrix with three years' regular service; (b) Officers possessing educational qualifications prescribed for direct recruitment under column 7.
26.	Senior Translator (Hindi)	2	Level-7 (Rs.44900-142400).	Non – selection post.	Not applicable	Not applicable.	By promotion.	Not applicable.	Promotion: Junior Translator (Hindi) with three years' regular service in the level-6 (Rs.35400-112400) in the Pay Matrix in these regulations.
27.	Deputy Librarian	10*	Level-6 (Rs.35400-112400).	Non - selection post.	Not applicable.	Master's Degree in Library Science or Master's Degree in Library and	By promotion failing which by deputation.	Not applicable.	Promotion: Library Assistant with six years'

						Information Science from a recognized University.			regular service in the level-5 (Rs. 29200-92300) in the Pay Matrix in these regulations. Deputation: (a) Persons holding analogous post on regular basis; or (b) Officers possessing educational qualifications prescribed for direct recruitment under column 7.
* The posts of Deputy Librarian and Assistant Librarian have been merged as both posts have been placed in same level after implementation of 6th Pay Commission.									
28.	Supervisor (Reprography)	4	Level-6 (Rs.35400-112400).	Non - selection post.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Not applicable.	Promotion: Senior Operator with five years' regular service in the level-5 (Rs.29200-92300) in the Pay Matrix in these regulations.
29.	Assistant Section Officer	208	Level-6 (Rs.35400-112400).	Non-selection post.	30 years.	Essential Qualification: (i) Bachelor's Degree from a recognized University or equivalent; and (ii) Computer Proficiency Test: The candidate should be proficient at least upto Level-6 of National Skill Qualification Framework. The test shall be qualifying in nature; and (iii) Qualifying Skill Test in Computer Proficiency, as decided by the Director	75% of posts by promotion and 25% of posts by direct recruitment.	Not applicable.	Promotion: Senior Secretariat Assistant with ten years' regular service in the level-4 (Rs.25500-81100) in the Pay Matrix in these regulations.

						General.			
30.	Personal Assistant	115	Level-6 (Rs.35400-112400).	Non – selection post.	30 years.	(a) Degree from a recognized University; and (b) Computer Proficiency Test: The candidate should be proficient at least upto Level-6 of National Skill Qualification Framework. The test shall be qualifying in nature; and (c) Shorthand test in English or Hindi comprising dictation test at hundred words per minute for seven minutes which the candidates shall be required to transcribe in forty-five minutes (English dictation) and in sixty minutes (Hindi dictation) and knowledge of computer. Visually disabled candidates having disability of forty percent and above will be required to transcribe the matter in seventy minutes for English shorthand test and in ninety minutes for Hindi shorthand test. Permissible mistakes: five per cent. The permissible mistakes shall be relaxable upto ten per cent, if adequate number of qualified candidates (i.e. with five per cent mistakes) are not available in any category against the vacancies advertised.	75% of posts by promotion and 25% of posts by direct recruitment.	Not applicable.	Promotion: Stenographer with ten years' regular service in the level-4 (Rs.25500-81100) in the Pay Matrix in these regulations and who has passed Shorthand Tests at hundred words per minute and Style Manual Test.

31.	Assistant (Computer Aided Design)	2	Level-6 (Rs.35400-112400).	Not applicable.	Not applicable.	Bachelor‘s Degree in Science with five years‘ experience in Auto CAD and reading press proofs in English, working knowledge of typography and related press work; or Bachelor‘s Degree in Science with five years‘ experience in Auto CAD and draftsmanship in the relevant discipline; or Diploma in Engineering in Civil/ Mechanical/ Electrical with five years‘ experience in Auto CAD and draftsmanship in the relevant discipline.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.
32.	Junior Translation (Hindi)	6	Level-6 (Rs.35400-112400).	Not applicable.	27 years.	(i) Master's Degree/Post Graduate Degree of a recognized University in Hindi with English as a subject at the Degree level; Or Master's Degree/Post Graduate Degree of a recognized University in English with Hindi as a subject at the Degree level; or Master's Degree/Post Graduate Degree of a recognized University in any subject with Hindi and English as subjects at the Degree level; or Master's Degree/Post	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.

						Graduate Degree of a recognized University in any subject with English/Hindi medium and Hindi/English as subjects at the Degree level; (ii) Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa; or Two years' experience of terminological work in Hindi or translation work from English to Hindi or vice-versa preferably of technical or scientific literature.			
GROUP-C POSTS									
33.	Senior Operator	3	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non - selection post.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Not applicable.	Promotion: Assistant Operator with six years' regular service in the level-4 (Rs.25500-81100) in the Pay Matrix in these regulations.
34.	Library Assistant	1	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Not applicable.	27 years.	Graduate with recognized Diploma in Library Science with three years' experience.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.
35.	Stenographer	30	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.	27 years.	(i) Bachelor's Degree from a recognized University; and (ii) Computer Proficiency Test: The candidate should be proficient at least upto Level-5 of National Skill Qualification Framework. The test shall be qualifying in nature; and	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.

						(iii) Shorthand Test: English/Hindi Shorthand test at the speed of eighty words per minute which the candidates shall have to transcribe on Computer in fifty or sixty-five minutes, respectively. Visually disabled candidates having disability of forty percent and above will be required to transcribe the matter in seventy minutes for English shorthand test and in ninety minutes for Hindi shorthand test. Permissible mistakes: five per cent. The permissible mistakes shall be relaxable upto ten per cent, if adequate number of qualified candidates (i.e. with five per cent mistakes) are not available in any category against the vacancies advertised.			
36.	Senior Secretariat Assistant	227	Level-4 (Rs.25500-81100).	Non – selection post.	27 years.	(i) Bachelor's Degree from a recognized University; and (ii) Qualifying Skill Test in Computer Proficiency consisting of: (a) Word Processing Test - 2000 Key Depressions in fifteen minutes; (b) Test in Spread Sheets on Microsoft Excel – fifteen minutes; and (c) Test in Power Point (Microsoft Power Point) – fifteen minutes.	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Not Applicable.	Promotion: Junior Secretariat Assistant with eight years' regular service in the level-2 (Rs. 19900-63200) in the Pay Matrix in these regulations and who has passed Style Manual Test. Deputation: (a) (i) Persons holding analogous post, or (ii) eight years' regular

									service in Junior Secretariat Assistant in the level-2 (Rs. 19900-63200) in the Pay Matrix. (b) Officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment under column 7.
37.	Assistant Operator	3	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non - selection post.	27 years.	Matric or equivalent; three years' experience in maintenance and operation of machines or equipments in a Printing Press or an establishment of repute.	By promotion failing which by direct recruitment.	Not applicable.	Promotion: Junior Operator with eight years' regular service in the level-2 (Rs. 19900-63200) in the Pay Matrix in these regulations.
38.	Junior Secretariat Assistant	95*	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	27 years.	Bachelor's Degree from a recognized University; Computer Proficiency Test: The candidate should be proficient at least upto Level-5 of National Skill Qualification Framework. The test shall be qualifying in nature; and (iii) Typing Speed Test: A typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on computer (thirty-five words per minute and thirty words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for	90% of posts by direct recruitment. 10% of posts by Appointment on promotion from Matriculate Group C (upgraded) employees of the Bureau as follows: 5% of posts on the basis of qualifying examinations held for this purpose by the Bureau. 5% of posts on the basis of combined seniority of Group `C' (upgraded) employees of the Bureau with 5 years continuous approved service in Bureau of Indian Standards, subject to reject of the unfit. Provided that if sufficient number of Matriculate Group `C'	Not applicable.	Not applicable

						each word). (Time allowed - ten minutes)	(upgraded) employees of the Bureau do not become available to fill 10% of posts, these 10% of posts shall be filled through direct recruitment in the manner laid down under regulation 5. Provided further that, if the number of Group `C' (upgraded) employees of the Bureau who qualify for appointment as Junior Secretariat Assistant is in excess of the posts available, such excess shall be considered for filling up the vacancies arising in the subsequent year.		
*One post of Library Clerk has been merged with the post of Junior Secretariat Assistant (JSA) consequent upon promotion of the incumbent.									
39.	Estate Manager	2	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Not applicable.	40 years.	High school degree from a recognised board or institute; and Ex-servicemen through the Directorate General of Re-settlement, Ministry of Defence, with at least five years' experience in security matters.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.
40.	Staff Car Driver								
	a) Staff Car Driver (Special Grade)	1	Level-6 (Rs.35400-112400).	Non - selection post.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Not applicable.	Promotion: Staff Car Driver (Grade-I) with three years' regular service in the level-5 (Rs.29200-92300) in the Pay Matrix in these regulations.
	b) Staff Car Driver (Grade-I)	4	Level-5 (Rs.29200-92300).	Non - selection post.	Not applicable	Not applicable.	By promotion.	Not applicable.	Promotion: Staff Car Driver (Grade-II) with six

									years' regular service in the level-4 (Rs.25500-81100) in the Pay Matrix in these regulations and who has passed the Trade Test for Grade- I post.
	c) Staff Car Driver (Grade-II)	4	Level-4 (Rs.25500-81100)	Non - selection post.	Not applicable	Not applicable.	By promotion.	Not applicable.	Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) with nine years' regular service in the level-2 (Rs.19900-63200) in the Pay Matrix in these regulations and who has passed the Trade Test for Grade- II post.
	d) Staff Car Driver (Ordinary Grade)	4	Level-2 (Rs.19900-63200).	Not applicable.	30 years.	ability to read, write, Hindi/ English/ Regional Language; must possess a valid driving licence for motor car with five years' experience; knowledge of motor mechanism.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.
41	Junior Operator	2	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Not applicable.	27 years.	Certificate course from Industrial Training Institute in the trade of Electrician/ Air-condition in/ Refrigeration/ Mechanic (Diesel Engine) or its equivalent, with two years' practical experience in the respective trade after having obtained the Industrial	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.

						Training Institute Certificate. or Industrial Training Institute Certificate in the trade of Fitter/ Carpenter/ Plumber/ Wireman/ Welding, preferably having also passed Welders qualifying tests as per IS 1161:1998 or its equivalent, two years' practical experience in the respective trade after having obtained the Industrial Training Institute Certificate.			
42	Senior Multi Tasking Staff	40	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non - selection post.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Not applicable.	Promotion: Multi-Tasking Staff with four years' regular service in the level-1 (Rs.18000-56900) in the Pay Matrix in these regulations.
43.	Despatch Rider	1	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non - selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Transfer failing which by promotion.	Not applicable.	Transfer: Lift Attendant with ability to read and write English; and/or Hindi/Regional Language and possessing a valid driving licence. Promotion: (i) Multi-Tasking Staff with three years' regular service in the level-1 (Rs.18000-56900) in these regulations.;

									and (ii) Possessing a valid driving licence.
44.	Horticulture Supervisor	1	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Not applicable.	27 years.	Matriculation or equivalent pass from a recognized board or institute. Shall be familiar with the job.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.
45.	Lift Attendant	2	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Not applicable.	27 years.	Matriculation or equivalent pass from a recognized board or institute. Shall be conversant with the safety device relating to lift;	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.
46.	Multi Tasking Staff	344	Level-1 (Rs. 18000-56900).	Not applicable.	27 years.	Passed 12th Standard (Senior Secondary) or equivalent from recognized board or Industrial Training Institute pass.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.
Canteen Posts									
47.	Halwai	4	Level-3 (Rs. 21700-69100).	Non - selection post.	Not applicable.	Not applicable.	By Promotion (See Note 3 below).	Not applicable.	Promotion: Assistant Halwai or Cook with at least three years' regular service in the level-2 (Rs.19900-63200) in the Pay Matrix in these regulations.
48.	Cook	2	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non - selection post.	Not applicable.	Not applicable.		Not applicable.	Promotion: Canteen Attendant with at least three years' regular service in the level-1 (Rs.18000-56900) in the Pay Matrix in these regulations.
49.	Assistant Halwai	1	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non - selection post.	Not applicable.	Not applicable.		Not applicable.	Promotion: Canteen Attendant with at least

									three years' regular service in the level-1 (Rs.18000-56900) in the Pay Matrix in these regulations.
50.	Manager-cum-salesman	1	Level-3 (Rs. 21700-69100).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	No recruitment shall be made to these posts (See Note 3 below).	Not applicable.	Not applicable.
51.	Coupon Clerk	3	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.		Not applicable.	Not applicable.
52.	Sales Clerk	2	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.		Not applicable.	Not applicable.
53.	Canteen Attendant	56	Level-1 (Rs. 18000-56900).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.		Not applicable.	Not applicable.

NOTE-1 The posts of Director (Finance) and Director (Accounts) will be inter-changeable.
NOTE-2 The posts of Director (Administration), Director (General Services), Director (Establishment), Director (Human Resource Development), Director (Vigilance) and Director (Training) will be inter-changeable.
NOTE-3 The posts at serial numbers 47 to 53 are dying cadre posts and are personal to the present employees and further recruitment of canteen employees shall not be made on their cessation of service consequent upon their superannuation/promotion/removal/resignation/death.

ALKA, Secy. (BIS)

[ADVT.-III/4/Exty./429/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.11.06 16:55:01 +05'30'